[Shri M. R. Masani]

clude religion from schools? (*Interruptions*). Sir, I do not yield, I am just about to finish.

Therefore, I agree that the hon. Minister means to use the word in the right sense. May I plead with him and all Members of the House to use the word denominational or multi-denominational, which is true of our Constitution? 'Secular' is not, because we believe in spiritual values, we believe in moral values. Somebody said that Gandhiji was a secularist. Gandhiji was not a secularist. He read prayers of all faiths at his prayer meetings. Even in prison he made us pray from the Bhagavat Gita, the Koran, Bible and the Zend Avasta. A secular man would never do that.

Therefore, it is in the spirit of our multi-religious democracy that I appeal to this House to pass this Bill, but not to do anything to change the Muslim character of Aligarh, which must remain a Muslim University.

14.33 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-EIGHTH REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:

> "That this House agrees with the Sixty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th August, 1965."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Sixty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th August, 1965."

The motion was adopted.

14.33½ hrs.

RESOLUTION RE: CEILING ON URBAN PROPERTY—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further discussion of the following Resolution moved by Shri P. R. Chakraverti on the 7th May, 1965:—

> "This House is of opinion that suitable measures should be taken to introduce ceiling on urban property, commensurate with the policy adopted with regard to rural areas."

One minute has been taken, and one hour and fifty-nine minutes are left.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Sir, I have moved my resolution which is specific, precise and pointed. But it raises certain fundamental issues which govern the texture of the society in which we are today enmeshed. The other day a friend of mine was asking whether it is a revolution or a reform. Yes, it is a revolution in the psychic moorings, it is a revolution in the acceptance of the eternal verities of life, it is a revolution in the attitudes to our life and the mental outlook. Naturally, if today Mr. Masani comes with the idea of scoffing at obscurantism, I have to tell him that we are not as yet wedded to that form of society which looks up to the sky as the ceiling. I am trying to bring in a new concept in the context of the society which is now in the offing, in the state of its growth. Since attempts have been made to introduce some ceiling in the rural areas, I may point out that the present idea of imposing a ceiling on urban property is one which is commensurate with the concept that has been adopted with regard to the rural areas.

The word 'Property' itself creates some confusion. According to the Oxford dictionary, it means 'landed

estate'. So I would specifically refer to that and I would not bring within its orbit anything except landed estate.

The other day, when this very question was mooted outside Parliament, where my friends of the Congress Party unanimously supported me—I mean the resolution in the Guntur AICC session—I mentioned one or two points which I may recapitulate here for the enlightenment of the friends who are with me here but who unfortunately had been absent there

In the year 1925, as you know, Sir, as an ardent devotee of Gandhism, Mahatma Gandhi had set out in the *Young India* seven sins. And the seven sins that he mentioned were: "Policies without principles, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice." These were the social acts described as the seven sins by Mahatma Gandhi. So, if today we are thinking of bringing an innovation in our thought processes, we have to think of the builder of the nation who said, "If you are in doubt about anything when the self becomes too much with you, apply the following test: Recall the face of the poorest and, above all, the voiceless poor of the villages beyond the sight and the thought."

So, today when I am confronted with the inglorious picture of the slum areas of Calcutta, Madras, Bombay and Delhi, when I find 12 lakhs of people are made to live in huddled houses in one city,—I better termed these so-called houses by the name of *jahanam* in my constituency,—which cannot be worse than the state of living which has been the lot of the millions of my countrymen. In Delhi itself, six lakhs of people are huddled together in the slum areas which they call *jhuggies* and *jhonpris*. In Bombay, it is more than nine lakhs, in Madras eight lakhs. And as regards Kanpur, Shri Jawaharlal Nehru in his anger, in his emotional passion, challenged this form of living in the shanties, where the people were huddled together in the slum areas, and he said "I want it to be set on fire, I am not going to tolerate it." The Prime Minister of India, the President of the Indian National Congress, threw a challenge before the people what about Allahabad city from where two Prime Ministers have come, Shri Jawaharlal Nehru and his successor.

So, today we have to be very much practical. We cannot speak only with the vogue slogan of socialism. Sir, as you are one of the most widely travelled persons in this Parliament, I can only refer to foreign countries. On one occasion, when I went to a country where no question of socialism is mooted—namely West Germany. Thirteen and a half million people who had been uprooted from East Prussia, Pomerania, Czechoslovakia and other places, all of them have been settled in Germany. How? It is because of the philosophy they accepted without crying hoarse over the word 'socialism' which becomes a menace to our friend Mr. Masani.

In 1959, I went as a student to Germany to study the problem of rehabilitation of 13½ million people in the State whose total popualtion is 54 millions. In a country of 450 millions, we could not rehabilitate 80 lakhs of people. In Germany, they did it. How? The first Act they passed was the Equalisation of Burdens Act. One of the most outstanding measures specially instrumental in resettling the refugees had been the Equalisation of Burdens Act. What does it signify? It signifies the man who has lost his home and hearth not because of his own lapses or anything else but just by ill-luck and the other man whose house has been left in tact from the ravages of war as a result of his good luck, everybody had to share the burden equally. The burden had to be evenly spread on the whole population so that in essence those whole property remained unaffected by war should recompense those whose property was wholly or partly damaged. The Equa-

[Shri P. R. Chakraverti]

lisation levy on capital was fixed at 50 per cent of the assessed value of all non-exempted capital, that is, that which remained wholly in tact after war, and was payable in quarterly instalments within a period of 27 years. Let me give an example. Suppose a man had a house worth a lakh of rupees; his house had been destroyed and only the ground plot was left which had the value of Rs. 30,000. Then, suppose, another man's house had been left in tact. In regard to first man, there was a loss of Rs. 70,000. So, Rs. 35,000 would be debited to the man whose house was left in tact and Rs. 35,000 would be credited to the man whose house had been damaged.

That is the country which never speaks of socialism. They have shown by marvellous demonstration what they can do. The nation today, by utilising the services of refugees, has enriched itself to the extent of more than 2½ times the *per capita* income more than that of a country like U.K. I will not try to scare away Mr. Masani and his friends but I will only give some inglorious examples from the experience which we have got in our country. The other day Mr. Masani was speaking about the Lokanathan Report. But he forgot one aspect of it. The survey had been conducted by the National Council of Applied Economic Research—this is the survey of Dr. Lokanathan. It remarked pointedly—

"The survey further shows that the size and distribution of income was marked by a "high degree of inequality".

And that is what has been evidenced by the survey in the land of the *rajas*, Kotah, Bikaner, Jaipur and Alwar and that is Rajasthan. Our great friend from Rajasthan, Shri Gupta, is sitting here. What does it say? It says:

"The problem is aggravated by the existence of a large number of ill-ventilated and ill-lighted houses made of flimsy building materials in some of the larger towns and cities where extreme overcrowding results in the creation of slums."

This is the latest survey of Rajasthan:

"The housing situation as revealed by the survey appears to be quite distressing. Its gravity can very well be imagined from the fact that 50 per cent to 60 per cent of such households—those which are living in one room only—have as many as 4 to 10 persons and even more as members of each household".

This is the latest survey of Rajasthan which is not necessarily having the highest density of population.

So, naturally, while I am bringing this Resoution before the House, I am bringing certain practical aspects to the fore so that the people, who are responsible for the administration and who are in-charge of this country, must see that here is a matter which can never brook further delay. Because the question of ceiling on land in the rural areas, was delayed, it did not benefit 18 to 19 per cent of the people the landless people, for whom it was brought upto operation. This happened because the ceiling was imposed as a result of dilatory tactics, which gave time to people to distribute the land and as a result, it was never utilised in the interest of the people who are landless. But I am not going to have that thing any more. Today we must take a positive stand in the case of urban areas, where the people are huddled together, in these shanties the dwellings which are used in slum areas. We must see that they must have something.

This is what Prof. M. S. Thacker said the other day:

> " . . . that land required for housing schemes in and around growing towns and cities should be acquired expeditiously and prompt possession—in urgent cases without waiting for the award of compensation—should be taken."

He is the Member of the Planning Commission and an eminent scholar. He has brought out the latest report because of the survey he has specially made.

Mahatma Gandhi spoke about the man who is down and out. Shri Jawaharlal Nehru spoke of him saying:

> "no personal salvation for me;
>
> I want him to be free—
>
> the countryman of mine—nay of the world, the man absolutely down and out.

Do we ever take care to think of that man? Do we ever take care to think of people of the country who are suffering from ignoble perdition and who live a life of eternal destitution? That man is born in squalor and filth and is allowed to die in misery. We say let God take care of him. Yes; God takes care of him. But do we people, who claim to represent them ever tell our conscience, "Look here, you have to do your duty to them."

Sir, when Churchill tried to denounce Mahatma Gandhi by saying that he was the naked *fakir* mounting the steps of the Viceregal Lodge, we asked Gandhiji in anger, "How is it that Churchill dares to accuse you as the naked *fakir*?". What did he say to that? He said, "It is the greatest encomium that has been showered on me, because I claim to represent the naked millions of India by the right of service". I ask the people, who are accustomed to speak of socialism, whether they ever care to think of those millions of our countrymen, who are allowed to live the life of distress and suffering. Nobody cares to think of their endless penury.

I am the first M.L.A. of Delhi—and I am the last M.L.A.—and I may tell you that I represented refugees from West Pakistan,—not a single refugee had been from my area—, they took me as one of them. The Government issued an order to dismantle the houses in which they were allowed to stay on. I said, "I will not allow them to dismantle a single house"—there was a deputation of 10,000 people—and I represented on their behalf. I said, "They have been uprooted from the N.W.F.P., Sind, Baluchistan and Punjab and I will not allow them to be uprooted once more." And we have them today in the houses where they were sheltered.

What happens in Delhi? A man goes to the periphery of Delhi and purchases the land at Rs. 6 per sq. yard and he develops that with another Rs. 6 per sq. yard, that is, it comes to Rs. 12 per sq. yard. And he sells it today at Rs. 65 to Rs. 125 per sq. yard. Before my eyes, I have seen how Delhi has grown up from the year 1947. I have seen the people amassing fortunes. Will you call it 'profit'? Will you call it 'Unearned income'? I want it to be taxed at cent per cent basis. I want the Government to come with this determination that they will not allow those things to go on.

My hon. friend, Mr. Mehr Chand Khanna, one of the greatest landlords of the Frontier took the vow, "I shall have no house till the uprooted millions are adequately housed." I said to him, "You are from the western Frontier and I am from the eastern Frontier. Let us take the vow that we shall have no house and let us give the Displaced Persons the houses." Now only three days ago Shri Khanna said that 2 lakhs of people come to Delhi every year and that he cannot find houses for them. I am reminded of the Government employees of Delhi. He has said that uptill now,

[Shri P. R. Chakraverti]

he has been able to give 35,000 houses to them and another 60,000 houses will have to be built in order to give shelter to the Government employees. This is the position. I ask: Why not have a ceiling? Why not see that there must be some limit for those who are having this form of unsocial dealings and who are accumulating money like anything? There must be some limit to that. Let us appreciate the difficulties and then find out some way out of this. The other day, a close friend of mine was telling about socialism, which I always shudder to think of when preached by people with no sincerity in what they profess. I seek the opportunity to make reference to that particular man—no stranger in the city from which Dr. Ranen Sen comes—Calcutta. He was asked in the bus to pay the fare. What did he reply? The man refused to pay the bus fare for the simple reason that he was not travelling in it; he was hanging on for dear life to the backs of two foot-board regulars who were in turn hanging on to the handrails at the entrance. This is the story of Calcutta. This common man today is hanging to his life clinging on the backs of somebody who is travelling in the bus of life.

Mr. Deputy-Speaker, Sir. I have to relate the history because my hon. friends refuse to study history. On the other occasion, I told that this history is written by the pen dipped in the blood of our own countrymen. Dr. Gregor Stressar wrote in 1929: "Everything that is detrimental to the existing order has our support. We are promoting catastrophic policies for only catastrophe. That is the collapse of the liberal system; will clear the way for the new order; all that serves to precipitate the catastrophe of the ruling system; every strike, every governmental crisis, every disturbance of the State power, every weakening of the system is good, very good for our revolution." That is now being made evident in the unrest that looms large in India.

Are we going in for that kind of revolution? As you are a well read man, Sir, I can place before you the latest article by Mr. Ralph Whitwell that appeared in the London Times of August 24. He was speaking about Los Angeles.

> "You do not have enough dollars. You are unemployed, unskilled, uneducated, unimportant and black. All these possessions which everyone says you ought to have, you never will have, unless....unless you go and take them. You have a stick, a broken bottle. There are stones about, and guns in the store down the road. The clammy, suffocating night around you is becoming unbearable, and somewhere down the road, you hear shouts and the tinkling of broken glass."

That is revolution. Are you going to provoke our countrymen to go in for that form of revolution? We must know what to do. It is the responsible acceptance of the obligations of life which is incumbent on us. We are the elected representatives of the millions of India. Today it is a challenge to us and the Government.

I moved a resolution in October, 1964 in the A.I.C.C. which was unanimously adopted. I wrote letters after letters to the Prime Minister and the Finance Minister, but to no effect. We profess many things, but we do not take steps to carry them into practice.

Why do people bring in no-confidence motion? They know that there is agitation, there is unconcealed emotion which is now trying to come out to the fore and crush the existing structure. I worked as an ardent follower of the Congress Party since 1920. I give a warning to our friends on this side as well as on the other side: "let us beware of the upsurge of

emotion and spontaneous outbursts". Nobody is going to tolerate this form of exploitation which I witness in Calcutta, in Madras, in Bombay and in Delhi. I say this because I had been the representative of the uprooted human beings from the Frontier, Sind and the Punjab; I say this as a man who is not obsessed with any fantastic ideas. People down below look up and see the Mermaid's head and not the Dragon's tail; it is the tail that wags. Today, I give a caution to the Government, to my friends and colleagues, that we should try to understand the implications of this resolution. It is a resolution which is long overdue. It needed to have been introduced earlier, but I do not know why the Government waited for such a long time. The ceiling was introduced on Land in rural areas. Land is the direct agent of production and the ceiling was introduced obviously on the plea of development of the country. We wanted to carry the people with us, so that they could become the participants. It is that idea which prompted the Government to introduce the concept of ceiling. But what happened? The landless people did not benefit from it because it came rather late. However, I am suggesting the imposition of ceiling on urban property commensurate with the policy adopted with regard to rural areas, let us introduce the same thing in urban areas. Why not? Why should this Juggi Jhompri in all its hideousness—an ugly object that stands against all essential values of life which we look upon as the first obligation. So, today I appeal to the Finance Minister to understand the lessons of history and never get obsessed with obscurantism, i.e., the mind seized with those outmoded ideas which have no relevance to the present. By this we drag ourselves down into the quagmire from where we find hard to extricate us. Let us look up and perceive the Dragon's tail because after all it is the tail that carries the poison, but not the charming head that the Mermaid carries on its shoulders. It is a lesson for all of us to learn and I am placing it before you, before this august House. This is a factor which must be appreciated in all its entirety, and in all its implications. Unfortunately, this House is a place which is something cut off from the currents of life outside and naturally when this question came up at another place, I said, "Yes, Yes, I know we represent those people, who are just knocking at the door step of the citadel where I happen to be the permanent door keeper." Today if I have brought this revolution in the country and before the Parliament, I know fully its implications; I know that, in the historical context, in the sociological upsurge of the country, this is the moot point which cannot be shelved. No dilly-dallying would do; no nice words from the Planning Commission or somebody would do I know I am a disciplined man; I abide by the directions of Congress, but it is the Congress which has passed this Resolution unanimously in the A.I.C.C. If the Government still feels that we have, as yet, to wait, I say. "let us learn the lessons of history".

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

> "This House is of opinion that suitable measures should be taken to introduce ceiling on urban property, commensurate with the policy adopted with regard to rural areas."

15 hrs.

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move:

> "That for the original resolution, the following be substituted, namely:—
>
> 'This House is of opinion that no distinction should be made between rural and urban areas in the matter of fixing ceiling on property, and a uniform policy should be adopted for both' ". (1).

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I beg to move:

> "That for the original resolu-

[Shri Bibhuti Mishra]

tion,, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that the ceiling on urban property should not exceed five times the *per capita* national income and within one year of adopting this resolution, the Government may enforce the ceiling on urban property.'.". (2)

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): I beg to move:

"That for the original resolution, the following be substituted namely:—

"This House is of opinion that a Committee be appointed at an early date to suggest a ceiling on urban property and recommend measures to be adopted for the purpose, keeping in view the steps taken to that end in rural areas.".". (3)

Shri D. S. Patil (Yeotmal): I beg to move:

"That in the resolution, add at the end:

"That is, the income from the quantum of ceiling should be equivalent to the i ncome from ceiling area of agricultural land holdings.".". (4).

Mr. Deputy-Speaker: The resolution and the amendments are now before the House.

Dr. Ranen Sen (Calcutta East): I rise to support this resolution moved by my hon. friend Shri P. R. Chakraverti, but before I do so, I should like to point out one fact before this House. Towards the later portion of the resolution, my hon. friend has stated:

'commensurate with the policy with regard to rural areas."

That is not a correct statement to make. As far as I know, in India, there has been little effort to have ceiling on rural properties.

In 1955 the Land Panel set up by the Planning Commission had made certain recommendations with regard to the ceiling on rural properties, particularly land in the villages. Excepting in a few States, the ceiling has not been introduced, and as a result of that, in most of the States in India landlessness has become a chronic feature, and it is becoming from bad to worse every day. Therefore, while what is urged by my hon. friend Shri P. R. Chakraverti is needed, at the same time, it should also be pointed out that the ceiling on rural property should also be introduced as early as possible. But whatever that may be, I am in support of the resolution by and large.

The absence of any ceiling on urban property has been injurious for the development of India. It is a well known fact today; and it has been admitted by the Government of India also that in India there has been sufficient polarisation of things with the result that on one side the people are subjected to miseries and on the other there is accumulation of wealth in the hands of a small handful of people or a small minority of people.

Let us see what the position today in the cities is. Let us take the example of the city of Calcutta. In West Bengal, under the Acquisition Act of the State, a ceiling has been introduced in the villages. But in regard to Calcutta there is no ceiling, either in regard to land or in regard to other property. As a result of that in cities like Calcutta, there has been a tremendous concentration of urban property in a few hands. Today, not only the land sharks are ruling in the city of Calcutta, but urban properties are being purchased and taken possession of by big capitalists and industrialists. My hon. friend has already pointed out the lot of the city people living in slums, in jhuggis and jhompris. Leave alone the poorer sections of the community; even the middle class people are not in a position to

purchase land to build their own houses. I know there is a scheme under the Government of India called the 'Build Your Own House Scheme' or something like that, and there are also schemes for the low income group, middle income group etc. in regard to housing, but I am sure that Government themselves recognise this fact and realise this fact that in spite of all these schemes, nobody from the low income or middle groups would be able to build their own houses, because land is a monopoly in the hands of a few people, and urban property is a monopoly in the hands of a few people. Therefore, I am very glad that my hon. friend Shri P. R. Chakraverti has brought forward a good resolution urging that there should be some ceiling on urban property.

As I have already pointed out, the big industrial mangnates like the Houses of Birlas, the Houses of Tatas and the Houses of Singhanias and other big families are concentrated not only in industries but also in urban properties like houses. Whether you go to Bombay or to Kanpur or to Calcutta or to Delhi or any other big city, this is the position, and this has become the bane of our political and social life. As a result of this, there is great corruption in society. Even the middle class people are now thinking in terms of speculation in land and in urban properties, because that gives them quick money, without any effort on their part and without necessity to invest in industries. Investment in urban property or in urban land gives them fabulous sums of money. This has been our experience. Even for this, I would submit that the State Governments should be held responsible. There are areas in certain big cities where even the developed lands where the middle class and the lower income group people can build their own houses, are sold by auction. In our area, one *katta* of land is sold for Rs. 10,000 or Rs. 15,000, but within a year or two, the value of that land goes up and it becomes Rs. 30,000 or Rs. 40,000 per *katta*.

So, this has become a happy hunting ground for the speculators; this has become a happy hunting ground for black money to accumulate, and this has become a happy hunting ground for corruption. Unfortunately, many big guns and even some smaller guns who are in this trade and who are purchasing land or urban property in this manner, instead of developing those areas, are becoming first-class land speculators or property-speculators. Therefore, it is high time that something should be done in this regard.

I do not know whether the AICC has passed such a resolution or not. That is for my Congress friends to say. But I would point out that our country has accepted the goal of socialism. I do agree that there may be differences between our concept of socialism, coming as we do from the Communist Benches and the concept of socialism of the Congress Party or the Congress Government. But there is at least one common point between the two concepts, namely that the disparity in income and disparity in possession of properties should be removed. Still, unfortunately, the steps taken by the Government of India or by the State Governments run contrary to this concept of socialism where we have at least one common point between ourselves. Therefore, it is high time that the Government of India and the Minister of Planning should give serious consideration to this resolution and make their position clear in regard to this.

With these words, I give my wholehearted support to this resolution.

श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चक्रवर्ती ने जो संकल्प अरबन प्रापरटी पर सीलिंग के बारे में रक्खा है मैं उसका स्वागत व समर्थन करता हूं। मैं ने जो संशोधन दिया है उस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

[श्री दे० शि० पाटिल]

अभी कहा गया कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपने अधिवेशन में एक संकल्प पास किया है और पालियामेंट के गये सत्र में अरबन प्रापरटी के ऊपर सीलिंग लगाने के बारे में चर्चा भी हुई थी लेकिन वह मामला वहीं पर थम कर रह गया। हम हर दफ़े रेजोलूशन पास करते हैं, कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन रेजोलूशन पास करता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है।

लैंड रिफार्म्स के बारे में कहा गया है कि लैंड रिफार्म्स करने चाहिएं। रेजोलूशन यूनैनीमसली पास हो गया लेकिन आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कि लैंड रिफार्म्स जिस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे वे नहीं हुए हैं। कांस्टीट्यूशन ने और पालियामेंट ने समाजवाद का विचार मान्य किया है और वह समाजवाद अगर लाना है तो देश में से आर्थिक विषमता को दूर किया जाना चाहिए। आज आमदनी में जो भारी असमानता है और अन्तर है उसको कम करना होगा और इसलिए यह उचित ही है कि अरबन प्रापरटी पर कोई सीलिंग लगाई जाये, अरबन प्रापरटी को उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाय और इस दृष्टि से यह संकल्प स्वागत योग्य है।

24 दिसम्बर, 1964 को इस सदन में यह क्वेस्टियन पूछा गया था, "क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुंटूर में हुए अन्तिम अधिवेशन में नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लगाने के बारे में पारित संकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?" इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि भूमि पर सीमा लगाने के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की इनकम पर सीमा लगाने के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने के बारे में काफ़ी अड़चनें हैं।

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): On a point of order. Are we committed to carry out the resolutions passed at a Congress meeting? I do not know what the hon. Member means by saying that.

Mr. Deputy-Speaker: He is speaking in support of that resolution.

श्री दे० शि० पाटिल : कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है।

Shri Bade (Khargone): If he wants, he can quote the Swantantra Party resolution and speak in its support.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, and you can quote the Jan Sangh's resolution.

श्री दे० शि० पाटिल : उस अवसर पर श्री कृष्णमाचारी ने कहा था, "भूमि पर सीमा के प्रश्न और इस के पीछे कारणों को अलग करना कठिन है। यह हो सकता है कि किसान को भूमि दिलाने का अभिप्राय हो और यह भी हो सकता है कि यह कदम हमारे पास जो कम साधन हैं, उन को विभक्त करने के लिए उठाया गया हो।" उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या कठिन है और इस पर विचार करना पड़ेगा, यह समस्या कई वर्षों से देश के सामने है, इस का उल्लेख हमारी दो पंचवर्षीय योजनाओं में भी किया गया है और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दस साल से यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में कोई कमेटी नियुक्त कर दी गई है। इस बात पर भी अभी तक विचार नहीं किया गया है कि यह स्टेट सबजेक्ट है या सेंट्रल सबजेक्ट है। अभी तक यह भी नहीं सोचा गया है कि ऐसी कोई शक्तियां इस पालियामेंट या इस शासन के पास हैं या नहीं। इस का अर्थ केवल यही है कि शासन इस सवाल को हाथ में नहीं लेना चाहता है, टालना चाहता है। इसीलिए सवाल काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है।

मैं समझता हूं कि यह कदम उठाने की सख्त जरूरत है। आज देश में जो डिसपैरिटी है, उस के बारे में मेरे मित्र ने काफ़ी कहा है। महलनवीस कमेटी की रिपोर्ट बहुत दिनों से देश के सामने है। मैं ने पिछली दफ़ा इस बारे में काफ़ी चर्चा की थी कि हिन्दुस्तान के देहात में रहने वाली गरीब जनता की इनकम बहुत कम है। शहरी लोगों की इनकम दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, श्रीमन्त की सम्पत्ति बढ़ती जा रही है और गरीब दिन-प्रति-दिन ग़रीब होता जा रहा है। यह ठीक है कि नैशनल इनकम के मुताबिक देहात की इनकम भी बढ़ी है, लेकिन शहरी इनकम के बढ़ने की गति बहुत ज्यादा है।

हम ने यह संकल्प किया है कि हम देश के सब लोगों को अनाज देंगे, कपड़ा देंगे, उनके स्वास्थ्य, एडुकेशन और आवास की व्यवस्था करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक शहरों और देहात की सम्पत्ति के विभिन्नीकरण को कम नहीं किया जायेगा, तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे।

शहर में ऐसे कई लोग हैं, जिन के पास मकान है, जिन को लाखों रुपयों को इनकम मिलती है। कई लोगों को अपने धन्धे से लाखों रुपयों की आमदनी होती है। उस इनकम पर कोई बन्धन नहीं है। इस की तुलना में देहात में रहने वाले लोगों की इनकम पर सीलिंग लगा दी गई है। अगर इनकम के विषय में एक सा तरीका नहीं अपनाया जायेगा, तो देश में एक के पास कम पैसा रहेगा और दूसरे के पास ज्यादा पैसा हो जायेगा। जब तक यह विषमता दूर नहीं की जायेगी, तब तक समाजवाद लाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मेरे मित्र ने इस प्रस्ताव का आखिरी सेन्टेन्स, अर्थात् "कमेन्सुरेट विद दि पालिसी एडाप्टिड विद रिगार्ड टु रूरल एरियाज" निकालने की बात की। मैं समझता हूं कि इस की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई स्टेट नहीं है, जहां लैंड पर सीलिंग नहीं हुआ है—किसी स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन शायद न हुआ होगा।

मैं ने यह अमेंडमेंट दिया है कि जैसे देहात में भूमि पर सीलिंग लगाने से देहात के लोगों की इनकम की मर्यादा रख दी गई है, वैसे ही शहरी लोगों की इनकम की मर्यादा होनी चाहिए।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री चक्रवर्ती, को इतना सुन्दर रेजोल्यूशन इस हाउस में लाने के लिए बहुत कानग्रेटुलेशन्ज पेश करता हूं। वास्तव में यह रेजोल्यूशन सरकार की तरफ़ से आना चाहिए था। चूंकि सरकार फ़ेल हो गई है, इसलिए माननीय सदस्य ने यह काम किया है। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह इस रेजोल्यूशन को जरूर माने।

आज देहात के लोगों के साथ बेइन्साफ़ी हो रही है। उन के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आज जितने भी मकान बनते हैं, वे सब शहरों में बनते हैं। आज सारा सीमेंट शहरों में जाता है और देहात में लोग एक एक बोरे सीमेंट के लिए दो दो साल तक परेशान होते हैं। जब यह कहा जाता है कि दिल्ली में एक चारपाई पर दो दो लोग सोते हैं, तो यहां पर यह बहुत आश्चर्यजनक घटना मानी जाती है, लेकिन आज देहात में करोड़ों लोग भैंस, बैल और अपने मवेशियों के साथ सोते हैं। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उन के लिए सरकार आज तक कुछ भी करने में नाकामयाब रही है।

[श्री यशपाल सिंह]

इसी दिल्ली शहर में सरकार ने किसानों से जिन जमीनों को चार रुपये गज के हिसाब से ख़रीदा, उन्हीं ज़मीनों को बाद में 250 रुपये गज़ पर बेचा। सरकार किसान से भी मुनाफ़ा लेती है, लेकिन उस को कोई चीज़ वापस नहीं दी जाती है। आज देहात की पैदावार का कोई लाभ काश्तकार को नहीं दिया जाता है। किसान से सोलह रुपये मन गेहूं ख़रीदा जाता है और दिसम्बर, के महीने में वही गेहूं बाजार में चालीस रुपये मन बेचा जाता है। उस मुनाफ़े का कोई हिस्सा किसान को नहीं दिया जाता है। इस के मुकाबले में मिल-मालिक की पैदावार की कीमत चाहे दस साल के बाद भी बढ़ती है, तो उस को उसका मुनाफ़ा मिलता है।

मेरे इलाके में हजारों देहात ऐसे हैं, जो पानी में डबे रहते हैं और जिन्होंने कभी पानी नहीं लिया है, लेकिन उन से इरिगेशन टैक्स लिया जाता है। इरिगेशन डिपार्टमैंट कहता है कि पानी लो या न लो, टैक्स देना पड़ेगा।

आज सब से ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आज देहात में सीमेंट, कोयला और लोहा वगैरह पहुंचाने की कोशिश की जाये।

आज हम देखते हैं कि जब किसान तकावी का पांच सौ रुपया लेने जाता है, तो उस को वह रुपया लेने में आठ महीने लग जाते है और उस को ढाई ढाई सौ रुपया रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन किर्लोस्कर जैसा बड़ा इण्डिस्ट्रियलिस्ट एक टेलिफोन कर के डेढ़ करोड़ रुपया कर्ज़ ले लेता है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ आठ आने सैंकड़ा सूद देता है, लेकिन किसान से पंद्रह रुपये सैकड़ा सूद लिया जाता है।

सरकार की जबान में सोशलिज्म है, लेकिन अमल में नहीं है। आज देहात की जनता बैलों और मवेशियों से ज्यादा दुखी है। उस को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है और मवेशियों के लिए चारा नहीं मिलता है। उस से जो अनाज लिया जाता है, वह बाद में चौगुने दामों पर बेचा जाता है। यह बेइन्साफ़ी बन्द होनी चाहिए। देश में वास्तविक अर्थों में सोशलिज्म लाना चाहिए, जिस का नारा महात्मा गांधी ने लगाया था, जिस के लिए हिन्दुस्तान ने लड़ाई लड़ी थी। अभी तक वह सोशलिज्म देश में नहीं आया है।

आज देहात में ऐसे मुलाजिम है, जिन को सरकार पांच रुपये माहवार देती है, जिन की जिन्दगी पांच रुपये माहवार पर खरीदी जाती है। यू० पी० में चार लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन को पांच रुपये महावार पर सरकार ने ख़रीद रखा है, जब कि शहरों में रहने वाले दस दस हज़ार महावार लेते हैं। आख़िर यह डिसपैरिटी कब तक चलेगी? इस को ख़त्म करना होगा। देहात के चालीस बीघे के किसान को जालिम ज़मींदार कह कर मिटा दिया गया। लेकिन दिल्ली शहर में एक एक सेठ की बीस बीस कोठियां हैं, जिन को वह देख नहीं सकता, जिनमें वह झाडू नहीं लगा सकता, जिन की वह निगरानी नहीं कर सकता, लेकिन उस पर कोई सीलिंग नहीं है।

इंसाफ का तकाजा यह है कि सब को एक निगाह से देखा जाए, सब को बराबर समझा जाए। इन लोगों की जबान पर तो सोशलिज्म है लेकिन इनके एमाल में सोशलिज्म नहीं

है । वोट मांगने के लिए ये जरूर सोशलिज्म का नारा लगाते हैं लेकिन जब आ कर कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं तो कपिटलिज्म चलाते हैं । देहातों की जनता आज दुखी है । बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और राष्ट्रीयकरण करके देहातों को उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिये । जब तक देहातों का जो रुपया लिया गया है, उसको देहातों में ही तकसीम नहीं किया जाएगा तब तक कैसे काम चलेगा । फौज में हम लड़ते हैं, जो जवान फौज में भरती होते हैं, वे किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं । कुर्सी पर बैठ कर बिजली के पंखे की हवा में रात दिन जो हुकूमत करते हैं, उन के बेटे फौज में नहीं लड़ते हैं । देहाती लोग शहरों को खिलाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, चीनी पैदा करते हैं । मेरे इलाके के अन्दर जिन लोगों ने दस हजार रुपये का गन्ना बेचा है, उनको आज दस रुपये की चीनी नहीं मिल सकती है, उनका गन्ना लेने के लिए तो सरकार तैयार है लेकिन उनको चीनी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है ।

आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि देहात की जनता को एक हफ्ते में डेढ़ किलो राशन दिया जाता है और एक कैदी को एक हफ्ते में सात किलो राशन दिया जाता है । कैद में रहना अच्छा है बजाय गांवों में रहने के । जो देहात की प्रापर्टी थी उसको छीन लिया गया है, लेकिन शहरों की प्रापर्टी ज्यों की त्यों बनी हुई है । देहातों और शहरों को एक लेवल पर लाने के लिए मैं श्री चक्रवर्ती जी का थैंक्स अदा करता हूं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को यहां पेश किया है । सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मामले में जितनी देरी की जा रही है उतना ही ज्यादा देश को इससे नुकसान हो रहा है । देहात के लोग आज बहुत दुःखी हैं । उनकी इस दुःखी अवस्था को दूर करने के लिए सरकार का फर्ज है कि वह कदम उठाये । सरकार बराबरी तो क्या लायेगी, हजारों गांव जो आज डूबे पड़े हैं उनका भी कोई इन्तज़ाम आज सरकार नहीं कर रही है ।

अन्त में मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि इस डिसपैरिटी को दूर सरकार करे और देहातों और शहरों को एक लेवल पर सरकार लायें ।

श्री विभूति मिश्र : मैं चक्रवर्ती साहब को धन्यवाद देता हूं कि वह इस प्रस्ताव को यहां लाये हैं । मैं समझता हूं कि वह बड़े कर्मशील आदमी हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बैलट में उनके नाम का यह प्रस्ताव निकल आया है ।

1952 के बाद मैंने एक प्रस्ताव रखा था सीलिंग आन इंडिविजुअल इनकम्ज के बारे में और मैंने कहा था कि वह होनी चाहिये । उस प्रस्ताव को सरकार ने सिद्धान्ततः मान लिया था और कहा था कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे । इधर प्लानिंग कमीशन ने भी इसको उसूलन मान लिया है कि हिन्दुस्तान में सोशलिज्म होना चाहिये और अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगनी चाहिये । एक ओर आपने रूरल प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने की बात को माना और उसको कार्यान्वित भी किया लेकिन अर्बन प्रापर्टी का जहां तक ताल्लुक है, इसको आपने अभी तक नहीं किया है, चाहे आपने इसको सिद्धान्ततः मान ही लिया हो । हमारे चक्रवर्ती साहब गुंटूर में हुए ए० आई० सी० सी० के सेशन में इस तरह के प्रस्ताव को लाए थे और ए० आई० सी० सी० ने इसको मंजूर भी किया था । मैंने वहां पर भी चक्रवर्ती के प्रस्ताव का समर्थन किया था । कितना ही समय इस बात को हुए गुजर गया है लेकिन हमारी सरकार ने आज तक भी उस प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया है, उसको कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों सरकार ए० आई० सी० सी० के आदेशों को मंजूर नहीं

[श्री विभूति मिश्र]

करती है ? हम चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस टिकट पर लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस का जब कोई प्रस्ताव आता है, वह मंजूर भी होता है, तो उसको हमारी सरकार क्यों नहीं कार्यान्वित करती है, उसको क्यों नहीं अमल में लाती है ? इस चीज को देख कर ताज्जुब होता है ।

हमारे भगत जी वित्त मंत्री भी हैं और योजना मंत्री भी । इन्होंने पटना में जो कुछ कहा था उसको मैं आपको बतलाना चाहता हूं । इन्होंने कहा था कि बिहार में पर कैपिटा एवरेज इनकम 188 रुपये है । बिहार में बड़े बड़े पंजीपति हैं । टाटा आयरन वर्क्स वहीं है । उनकी भी आमदनी इस 188 रुपये में शामिल है, जो भिखमंगा है, उसकी भी इसमें शामिल है, गांव के किसान की जिसकी आमदनी सवा सौ रुपया है, वह भी शामिल है और जिस की 75 रुपये है, वह भी शामिल है । कितना गरीब बिहार प्रान्त है, इसको आप देखें । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सब स्टेटों में गरीब बिहार स्टेट के लोग हैं, बिहार स्टेट है । वहां पर कोलयरीज हैं । लेकिन जितनी भी कोलयरीज हैं वे सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हैं । कोई पूंजीपति अहमदाबाद में रहता है, कोई बम्बई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है । जितनी वहां पर मिनरल्ज निकलती हैं, वे सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हैं । शहरों से वहां की हालत बहुत खराब है ।

आप शहरों में जा कर देखें कि क्या हालत है । वहां पर आप बड़े बड़े मकान पायेंगे। किसी को पचास हजार रुपया मकानों के किराये से आमदनी होती है तो किसी को एक लाख रुपया होती है । किसी के पास सौ मोटरें हैं तो किसी के पास पचास मोटरें हैं । देहातों और शहरों में बहुत जबर्दस्त विषमता है । इस विषमता को दूर करने की जरूरत है । अगर इस विषमता को आप दूर नहीं करेंगे तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हमारी पार्टी देर तक टिक नहीं सकेगी । एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य होते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो दस बीस बरस से अधिक हम नहीं टिक सकेंगे । इस देश में हमारी पार्टी इतने समय के बाद जीत नहीं सकेगी ।

जो परिस्थितियां आज देश में हैं, उनको मैं ने देखा है और उनके आधार पर ही मैं यह बात कह रहा हूं । अभी हमारे बिहार में कुछ विद्यार्थियों तथा दूसरे लोगों द्वारा उपद्रव किये गये थे । आठ आने जो फीस के बढ़ाये गये हैं, उसको ले कर ये उपद्रव हुए थे । इस कारण से ये हुए थे कि विद्यार्थी इतने से पैसे भी देने में लाचार थे । विद्यार्थियों ने हंगामा किया । इस महंगाई के जमाने में मैंने खुद देखा है कि देहात के लोग बड़ी मुश्किल से शहरों में आ कर पढ़ते हैं । बहुत से होटल तक बन्द हो गए क्योंकि विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं थे कि वे जा कर पैसे दे कर खाना खा सकें । उनमें इतनी ताकत नहीं है कि शहरों में जा कर वे पढ़ें और खर्चा शहरों का बरदाश्त करें । शहरों के जो विद्यार्थी हैं वे अभी पढ़ते हैं । यह जो विषमता हमारे देश में इतनी जबर्दस्त हो गई है, इसको दूर किया जाना चाहिये । शहरों की जो सम्पत्ति है, उसके ऊपर भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ।

हमारे चक्रवर्ती साहब ने बहुत से अंग्रेज सहाबों के नाम लिये हैं । मैं समझता हूं कि उनको दूर जाने की जरूरत नहीं थी । भीष्म पितामह ने क्या कहा है, इसको ही देख लेना चाहिये था । उन्होंने कहा था कि जिस राजा के राज्य में जो गरीब प्रजा है वह सन्तुष्ट नहीं है और देश में विषमता है उस राजा का राज्य नहीं टिका रह सकता है । आज नहीं हजारों वर्ष पहले उन्होंने यह बात कही थी । भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जैसे न्यायी आदमी से कहा था कि तुम्हारे राज्य में ऐसा

होगा, तो तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा । हमारे चक्रवर्ती साहब तो ब्राह्मण हैं, उनको तो यह मालूम ही होगा । उनको क्या जरूरत थी कि बड़े बड़े अंग्रेज़ों के या दूसरे लोगों के उद्धरण देते ।

मैंने एक संशोधन पेश किया है कि पर कैपिटा इनकम के फाइव टाइम्ज़ के ऊपर आमदनी नहीं होनी चाहिये । अगर हिन्दुस्तान की तीन सौ रुपया पर कैपिटा इनकम है तो शहरों में किसी की पंद्रह सौ से अधिक की आमदनी नहीं होनी चाहिये । हमारे तुलशीदास जाधव जी ने कहा है कि इससे इंसैंटिव मारा जाएगा । मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे मारा जाएगा । इंसैंटिव पंद्रह सौ रुपये में भी रह सकता है और पांच लाख रुपये में भी रह सकता है । अगर जिस तरह का इंसैंटिव आप चाहते हैं, उसको जिन्दा रखेंगे तो देश में बगावत हो जाएगी, अशान्ति फैल जाएगी और इसको भी न आप भूलें कि हमारे पड़ौस में ऐसे देश हैं जो इस मामले को उभाड़ना चाहते हैं । एक तरफ वे लोग हैं जो खा-खा कर मरते हैं और दूसरी तरफ वे हैं जो खाने के बगैर मरते हैं । शहरों में जा कर आप देखिये, जितने शहरों के लोग हैं उन में से अस्सी प्रतिशत के बच्चे--सेंट जैवियर्ज़ जैसे पब्लिक स्कूल्ज में पढ़ते हैं । हिन्दुस्तान में 85 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है । उनके बच्चों के साधारण शिक्षा भी नहीं मिल पाती है । क्या हम लोगों ने आपको इसलिये यहां रखा है कि एक तरफ तो आप इसकी आज्ञा दें कि बच्चे सेंट जैवियर्ज़ जैसे पब्लिक स्कूल्ज में पढ़ कर आई० ए० एस० बनें और हमारे ऊपर हुकूमत करें और दूसरी तरफ 85 प्रतिशत जो आबादी है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई का कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध भी न हो ? अगर यही हालत रही तो मैं वार्न करता हूं कि देश में बगावत होने से रुक नही सकती है ।

किसान क्रान्ति करते हैं, इस बात को गांधी जी ने माना था और इसको साबित भी कर दिया था । आप इस चीज़ को भी देखें कि देश की रक्षा के लिए किसान ही लड़ रहे हैं, आज़ादी को जब आंच आती है तो किसान ही अपना खून बहाते हैं । हमारे भगत जी गांव से आते हैं । वह प्लानिंग के भी मंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि विरोधी बैंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों से ज्यादा क्रान्तिकारी हम लोग हैं, वे लोग तो बात ही करते हैं, लेकिन हम लोग तो क्रान्तियां करते हैं । आज भी हम क्रान्ति करने के लिये तैयार हैं । हम इनकी राह नहीं देखेंगे । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस प्रस्ताव को कबूल कर ले । ए० आई० सी० सी० ने इसको कबूल किया है । अगर ए० आई० सी० सी० हम लोगों से कहेगी कि तुम पार्लिमैंट से इस्तीफा दे दो तो हम उसी क्षण इस्तीफा दे देंगे । भगत जी को भी चाहिये कि वे ए० आई० सी० सी० की बात को मानें और इस प्रस्ताव को मंजूर करें । अगर हिसाब किताब लगाने की बात है, कुछ देखने की बात और इसमें कुछ देर हो सकती है तो मैं चाहूंगा कि वह इसको सिद्धान्त रूप में मान लें । अगर वह नहीं मानते हैं तो शहरों और देहातों का झगड़ा रहेगा । देहातों में आपने तीस एकड़ की जमीन की सीलिंग कर दी है । इस जमीन से जो उनको आमदनी होती है उससे वे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं । कुछ लोग हैं जो बेनामी डीलिंग करके या बेईमानी करके ज्यादा जमीन रखे हुए हैं और वे तो अच्छे हैं लेकिन दूसरे अपना गुजारा भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं ।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने इसको नहीं किया तो आगे चल कर देश में क्रान्ति हो जाएगी ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) :

यथेमांवाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ।।

[श्री रामेश्वरानन्द]

उपाध्यक्ष महोदय, इस वेद मंत्र में बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि सब को एक समान पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। आज जो यह असमानता है उस का मुख्य कारण यदि कोई है तो समान अध्ययन का न होना है। यदि अध्ययन का समान अधिकार सब को मिले तो सम्पति के उपार्जन में जो विषमता है वह सारी की सारी नष्ट हो सकती है। अभी श्री मिश्र जी कह रहे थे कि देहातों में कम लोग पढ़ते हैं। पढ़ें कैसे, वहां पढ़ते का दस्तूर नहीं है। मैं जहां से आया हूं करनाल में 32 हाई स्कूलों की इमारतें गरीब लोगों ने पेट पर पट्टी बांध कर बनायी है लेकिन सरकार उन्हें स्वीकृति नहीं देती। जब कि शहर के लड़के घर में रोटी खा करके एम० ए० और बी० ए० पास कर सकते हैं। देहातों की माली हालत बहुत कमजोर है। शिक्षा दे कर उन के उत्थान के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि सम्पत्ति के उपार्जन पर प्रतिबन्ध की जो बात है मैं उस के बिल्कुल विरुद्ध हूं। सम्पत्ति के उपार्जन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं चाहिए। अगर आप कोई प्रतिबन्ध लगा सकते हैं तो उस के वितरण पर लगा सकते हैं जिस से कि देश की समस्या का समाधान हो सकता है।

आप प्राचीन समय को लें, ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्व हर एक के लिए यह नियम था कि ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य बन ही तब सकता था जब वह आय में से दान करता था। जो दान नहीं करता था उसे चोर समझा जाता था। वेदशास्त्र के अन्दर उसे चोर माना है :

"योस्वभ्यंमरातियात् यस्व नो द्वेसते जनः।
निन्द्याद्योस्मान् धीपसाच सर्वतम् भस्मासा कुरू।।"

अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो दान नहीं दे सकता तो ऐसा व्यक्ति चोर है और चोर को दण्ड होना चाहिए वही उस को होना चाहिए। आप चाहते हैं कि उत्पादन न बढ़े। इस के आप दरिद्रता बढ़ायेंगे। आज जो अपनी उपज करता है उस पर प्रतिबन्ध लगा कर आप ने उसकी वृद्धि नहीं की। जिस चालाकी से आज काम हो रहा है, जो मक्कारी चल रही है आपके राज्य कर्मचारियों के साथ मिल जुल कर उस का आप को पता ही नहीं है। आप तो यहां सदन में बैठे हैं। इसलिए सम्पत्ति के उपार्जन पर प्रतिबन्ध न लगा कर उस के वितरण पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए, खर्च पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सब बालकों का उत्थान हो तो इस का एक ही उपाय है कि निर्धन बालक को पुस्तक, वस्त्र और दूसरी सब चीजें राज्य की तरफ से मिलें और मालदार के लड़के से एक के स्थान पर दसगुनी फीस ली जाये। तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप टैक्स लगाते चलेंगे, डंडा लगाते रहेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उपार्जन कर ही नहीं सकते और दूसरे जो सम्पत्ति का उपार्जन कर सकते हैं उन को आप उपार्जन करने नहीं देंगे। एक आदमी तो तैर ही नहीं सकता है और दूसरा जो तैर सकता है उस से आप कहेंगे कि तुम पीछे रहो। इस तरह से कोई भी नहीं तैरेगा, दोनों ही अपाहिजों की पंक्ति में खड़े हो जयेंगे। इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा।

कांग्रेस के भाइयों को सोचना चाहिए कि अब से पहले भी यह देश था। वह समानता चाहते हैं, देश में कम्यूनिज्म ला रहे हैं। लेकिन यह समानता हो नहीं सकती। जिन देशों की ओर आप देख रहे हैं क्या वहां जूते गांठने वाले नहीं हैं, क्या वहां सब चाउ एन० लाई ही हैं। जिस रूस की बात आप कर रहे हैं वहां भी सब तरह के लोग हैं। यहां पर भी सब तरह के लोग रहेंगे। एक पिता की कमजोरी के कारण बालक का उत्थान नहीं हो सका तो यह एक अभिशाप है। उस का बाप दंडनीय हो सकता है लेकिन बालक को तो उठने का मौका मिलना चाहिए। इस के लिए

पिता को ऊपर उठाना जरूरी है. क्योंकि बिना उसके लड़का उठ ही नहीं सकता । जब तक पिता निर्धन है लड़का आगे नहीं उठ सकता, इसलिए आप सम्पति के वितरण पर कोई भी प्रतिबन्ध लगायें लेकिन उपार्जन पर प्रतिबन्ध की जो आप बात करते हैं मैं उस का घोर विरोधी हूं । जो उपार्जन करता है उस को सब सुविधायें मिलें लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति तो दस-दस कटोरियों में साग खाये और दूसरा आदमी शाम और सवेरे नमक के साथ रोटी खाने के लिए विवश हो । आप सम्पत्ति के भोग पर प्रतिबन्ध लगाइये । इसी से देश उठ सकता है । हमारे वेद मंत्र हैं जिन में लिखा हुआ है :

"समा [illegible] पा सहबोन्नभागः
समान योक्त्वेसहबोयनजमि
सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचा [illegible] वदत भद्रया"

भगवान कहते हैं कि तुम्हारा भोजन, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा रहन सहन इस में सब को समान सुविधा चाहिए । वेद शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो उत्पादन अधिक करता है उस को अधिक सुविधा प्राप्त हो । हम देखते हैं कि पहलवानों को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाता है, नाचने वालों तक को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाता है लेकिन उत्पादन करने वालों को रोकना भी ठीक नहीं हैं । आप ने गलती की है देहातों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा कर के । मैं तो कहता हूं कि देहातों के लोगों को उत्पादन के अधिक साधन मिलने चाहिये । आज वहां के लोगों को उत्पादन के साधन उपलब्ध नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज कितनी असमानता है । इस असमानता को आप अभी तक दूर नहीं कर सके । जब मैं चुन कर आया था तब मैंने एक प्रस्ताव यहां रखा था लेकिन उस की अनुमति सदन में नहीं दी गई । मैंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का वेतन 100 रु० मासिक से कम न हो और किसी व्यक्ति को भी 125 या 150 रु० से अधिक वेतन न दिया जाये । क्योंकि पढ़े लिखे आदमी . . .

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : स्वामी जी ऐसा न कहिये ।

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी (महुआ) : स्वामी जी, कृण्वंतोविस्वमार्यम को भी याद रखिये ।

श्री रामेश्वरनन्द : मैं आप के सामने कह रहा था . . .

श्री कपूर सिंह : मंत्री लोग मारे जायेंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द : उन को मारा जाना चाहिये । इसका परिणाम यह होगा कि अगर एक व्यक्ति के पास अधिक पैसे हैं और दूसरे के पास कम पैसे हैं तो अधिक पैसे वाला वस्तु को मंहगी कर के बाजार से खरीद लेगा लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वह उसे नहीं खरीद पायेगा । इसलिये भोग विलास पर जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर आप प्रतिबन्ध लगायें । वह पढ़ने लिखने पर अपनी अधिक से अधिक सम्पत्ति को नहीं लगाता है, अपने भोग विलास के ऊपर व्यय करता है । प्राचीन काल की शिक्षा में हमारे यहां यह था कि जो लोग जितने अधिक पढ़े लिखे होते थे उतने अधिक त्यागी और तपस्वी तथा कर्मठ हुआ करते थे । लेकिन आज की शिक्षा का प्रभाव यह है कि जिसने चार अक्षर भी अधिक पढ़ लिया उसे विशेष प्रकार की सवारी चाहिये, विशेष प्रकार का निवास स्थान चाहिये, अच्छा खान-पान चाहिये । तो क्या दूसरे लोग फांसी लगा लें। इस लिए एक अंश में तो मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करूंगा, जो कि वितरण पर, भोग पर, धन के बटवारे पर प्रतिबन्ध लगाए । अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप कहें कि

[श्री रामेश्वरानन्द]

उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये तो मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे आप भ्रष्टाचार की तरफ जायेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास : उपाध्यक्ष महोदय मेरे मित्र माननीय श्री चक्रवर्ती ने इस सदन के सामने शहर की जायदाद पर सीमा लगाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किया है उस के सिद्धान्त का मैं पूरी तौर से समर्थन करता हूं । सभी जानते हैं कि हमने अपने देश में समाजवाद कायम करने का निश्चय किया है । इसमें किसी को मतभेद नहीं है । इस संसद ने भी इस सिद्धान्त को कबूल किया है कि हम अपने देश में समाजवाद स्थापित करेंगे । समाजवाद का सबसे पहला आदर्श है समानता । सब को समान अवसर मिलना चाहिये हर प्रकार की उन्नति करने का और हर प्रकार से उन्नति करने का, साथ ही विषमता दूर करने का भी अवसर मिलेगा । इस सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि जब देहाती क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव आया और उसके बाद जमीन की सीमा निर्धारित करने की नीति अपनाई गई तो उसको हम सभी ने स्वीकार किया । यह समाजवाद की ओर एक सही कदम उठाया गया था ।

इस समय मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि जब जमीन पर सीमा लगी और जमींदारी उन्मूलन हुआ तो शहर की जायदाद पर किसी प्रकार की सीमा नहीं लगी और उस कानून के दायरे में उनको नहीं लाया गया, तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार का भेदभाव किया गया ।

ऐसा समझा जाता है कि पहले जब हमारे यहां भूमि सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून नहीं था उस समय धन उपार्जन करने वाले कुछ लोगों ने अपना धन खेत खरीदने में लगाया, कुछ लोगों ने जमींदारी खरीदी । बहुत से ऐसे जमींदार थे जो ब्रिटिश शासन काल से जमींदार थे, लेकिन बहुत से ऐसे जमींदार हुए जिन्होंने पीछे आकर जो धन कमाया उसको लगा कर जमींदारी खरीद की । बहुत से ऐसे भाई थे जिन्होंने अपने रुपये को कारखानों में लगाया या शहरी क्षेत्र में जायदाद हासिल करने में लगाया । जब हमने जमींदारी उन्मूलन का कानून पास किया तो एक प्रकार से जो देहात में रहने वाले जमींदार थे जो देहात में रहने वाले किसान थे, जिनके पास जो जमीन थी उस पर सीमा लगाई गयी, तो उस समय एक प्रकार का भेदभाव किया गया । इसलिए इस भेदभाव को हटाने के लिए यह जरूरी है कि जिन लोगों ने अपनी कमाई को शहरी क्षेत्र में जायदाद हासिल करने में लगाया है उनको भी उस कानून के दायरे में लाया जाए । इसलिए शहरी क्षेत्र में जो जायदाद है उस पर भी जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू किया जाए ।

जिन लोगों ने अपनी कमाई को देहात में लगाया उनके ऊपर जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करके न केवल उनकी सम्पत्ति की सीमा ही निर्धारित कर दी, बल्कि भविष्य में भी उनको आमदनी से वंचित कर दिया, और जब हमने जमीन पर सीमा लगायी तो जिन्होंने अपना धन जमीन खरीदने में लगाया उनके ऊपर भी हमने कंट्रोल कर दिया । एक भाई जिसने जमीन खरीदने में अपना धन लगाया, और दूसरा भाई जिसने जमींदारी में अपनी कमाई लगायी वे तो इस कानून की लपेट में आ गए । लेकिन तीसरा भाई, जिसने अपना धन शहर की जायदाद में या कल कारखानों में लगाया वह उससे धन उपार्जन किए चला जा रहा है, उसकी जायदाद पर हमने कोई सीमा नहीं लगायी । मैं समझता हूं कि इस प्रकार हमने

कानून के जरिए डिस्क्रिमिनेशन किया है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए सरकार के लिए यह जरूरी है कि इस प्रस्ताव को मेरे संशोधन सहित स्वीकार कर ले।

मेरा सुझाव है कि हम एक कमेटी नियुक्त करें जो इस बात की जांच करे कि शहर की जायदाद पर किस प्रकार सीमा लगाई जाए और किस प्रकार इस काम को किया जाए जिससे शहर की सम्पत्ति पर सीमा लग सके।

इस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, खास कर हमारे जो प्रस्तावक महोदय हैं उन्होंने बहुत दार्शनिक रूप से, बहुत ऐतिहासिक रूप से इस समस्या की ओर ध्यान खींचा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम ने समाजवाद का आदर्श अपने सामने रखा है और हम चाहते हैं कि देश में समानता हो और जब हमने अपने संविधान में सब को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देने का निर्देशक सिद्धान्त रखा है और हमने अपना संविधान बनाते समय जब इस बात का संकल्प कर लिया है, तो कोई कारण नहीं रहता है कि जो शहर के रहने वाले हैं उनकी जायदाद पर सीमा क्यों न लगायी जाए।

एक बात मैं इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमने संविधान में इस बात को माना है कि हम एक जगह अधिक धन नहीं एकत्र होने देंगे क्योंकि ऐसा होने से समाज में विषमता फैलती है, जिसको हम नहीं मिटा सकेंगे। इसलिए भी आवश्यक है कि जो लोग शहरों में सम्पत्ति रखते हैं उस पर भी सीमा लगायी जाए जिससे हमारे देश में देहात के रहने वाले और शहर के रहने वाले लोगों में ज्यादा विषमता न रहे। और सब को उन्नति करने का समान अवसर मिले।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अपने संशोधन के साथ समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने के लिए एक कमेटी बिठाएंगे कि शहरी जायदाद पर कैसे सीमा लगायी जाए और कैसे इस काम को किया जाए। मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

Shri Krishnapal Singh: Sir, I oppose this resolution not because I do not want that the lot of the poorer classes in the cities or in the rural areas is to be improved, but because I feel that the measure proposed by the Mover is not suitable for improving the lot of the poorer classes. Merely by snatching the property from those who have it, the condition of the poorer classes is not likely to improve.

Take the instances of countries where the poorer classes are better off. I was travelling with a journalist from Australia the other day, and he claimed that his country had a higher standard of living than any other country. I remember that during the last war the Australian troops were better paid than the troops of any other country. If we compare the condition of the poorer classes in the socialist countries with that found in the very highly developed countries like the United States of America or West Germany or Japan, I think we will find that the labourers in America or West Germany or Japan are better off than in most of the socialist countries. What I mean to say is that we cannot, just by snatching the property from those who have it and giving it to the poorer classes, raise the standard of the poor people.

In the first place, in a country like India, there is not sufficient property with the richer classes which can be distributed among all the poor. If that were possible, it may have improved their lot, but we find that India is so under developed; there are so few rich people in our country that even if you take away all the property in their possession you cannot improve the condition of the poor. So far as

[Shri Krishnapal Singh]

myself and my party are concerned, we are all in favour of improving the lot of the poor people; they should have better houses; they should have better and more food; they should have better living conditions, but you cannot give them these benefits by merely depriving all those who have these things. I have myself often felt, and I sympathise with those from the rural areas who feel, that when property has been snathched away from those who had it in rural areas, why should not the property of those we possess it—who are very rich in a few cases—in the urban areas be taken.

For instance I myself felt that when I lose my motor car or when my brother's house is falling, why new houses should be constructed and new places go up in the cities. But that may be a bit of an envy; it may be jealousy. It cannot help us to improve the lot of the poorer classes. We must develop the entire country. I cannot understand why people concentrate on establishing industries near cities only. The Mover and some other people complained that the prices of urban property, of land, near big cities like Calcutta, Delhi and Bombay were very high. Of course, that is not the fault of those who live there or who speculate or show a little enterprise. It is the fault of our Government. Why should they plan the industries so badly. There are thousands and thousands of acres of waste land in the interior of the districts. Why should not the industries be dispersed and taken to villages? Why are they trying to concentrate them in and near Delhi or Calcutta or Bombay? That is the fault of the policy. If you build cities in new areas, the standard of people living in that area is bound to improve. But we are concentrating on certain areas with the result that those who wish to speculate on land get a chance to do it. Therefore, I hope the government will change this policy.

I could not find anything in the arguments of the mover or those who supported him which show that merely by imposing ceilings on urban property, the condition of the poorer classes will improve. On the other hand, I feel that their condition will be worse and instead of distributing wealth, we will be distributing poverty in urban areas, just as we have done in the rural areas.

We have just been complaining that the production of agricultural commodities has fallen. Why? It is because of the introduction of ceilings there. There are very few economic holdings left in the rural areas. People cannot cultivate them economically and therefore, they are neglecting them. In America, when 60 per cent of the population was pursuing agriculture, there was less production than at present when only 30 to 40 per cent are engaged in agriculture.

The third point is about compensation. If we impose a ceiling on urban property, we will have to pay a good deal of compensation. Where will this come from? Either by imposing taxes or raising loans. Are we in a position to impose new taxes for the sake of providing compensation for those whose property is nationalised or raise loans for that purpose? Even in the case of rural areas, some of the zamindars, specially in Bihar, Bengal and other States, have not received all their compensation, although their property has been nationalised some 10 to 12 years back. So, I feel that by imposing ceilings on urban property, we will be only giving misery and we will not be improving the lot of those who are poor.

Mr. Deputy-Speaker: According to the time allowed, we should close at 4·30.

Some hon. Members: Time may be extended.

Shri P. R. Chakraverti: I only want to move my next resolution today. I should have time for that. Otherwise I oppose this extension.

Mr. Deputy-Speaker: We will extend it by half an hour. We will close it at 5.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : आज जो प्रस्ताव सदन् के सामने है मैं उस का स्वागत करती हूं और प्रस्तावक महोदय को बधाई देती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रस्ताव हम लोगों को विचार करने के लिए दिया। मैं मिनिस्टर साहब जो कि ,इस समय बैठे हुए हैं उनसे कहूंगी कि यह बिल जोकि एक सही दिशा में हमें ले जा रहा है इसको स्वीकार करें। एक बार इसी तरीके से यहां प्रस्ताव आया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय लेकिन उन्होंने वह स्वर्ण मौका हाथ से खो दिया। मैं उन से प्रार्थना करूंगी कि कम से कम इस प्रस्ताव को तो वह अवश्य स्वीकार कर लें जिसको कि चारों तरफ से हाउस में समर्थन मिल रहा है।

अभी हमारे एक सदस्य स्वामी जी ने और एक दूसरे सदस्य ने बहुत सी बातें कही हैं। स्वामी जी के भाषण पर मुझ को बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि बातें तो उन्होंने सब अच्छी कही हैं परन्तु उनके जो नतीजे निकाले वह सब उन्होंने गलत निकाले। जिस तरीके से लोगों की आर्थिक हालत सुधरनी चाहिए, बराबरी आनी चाहिए और गरीब आदमियों को मौके मिलने चाहिएं वह सब तो उन्होंने कहा है लेकिन आखिर में उन्होंने यह कह दिया कि उसको लाने का जो तरीका बतलाया जा रहा है वह नहीं होना चाहिए।

15.55 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

दरअसल एक पुराना जमाना था जिस जमाने को बदलने का हम ने निश्चय किया। पहला जमाना था हमारे यहां जो पहले से प्रथा चली आती है कि जो अनाज पैदा करता है उस को खाने को नहीं, जो कपड़ा बुनता है उस को कपड़ा पहनने को नहीं और जो मकान बनाता है उसको मकान रहने के लिए नहीं, वह सब फैसला किया था कि वह सब चीजें बदलनी चाहिएं और उन को बदलना हम ने शुरू भी किया है। कैसे शुरू किया? जमींदारी हम ने ऐबालिश करने की बात की पर एक नई किस्म की जमींदारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। पहले भी ऐसे ही होता था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वे गांवों में रहते नहीं थे अक्सर शहरों में आ जाते थे। किसान खेती करते थे, मेहनत करते थे, अन्न पैदा करते थे पर उसकी कमाई सारी की सारी बड़े बड़े शहरों में आ जाती थी। स्कूल बनते थे शहरों में, अस्पताल बनते थे शहरों में, जो कुछ बनता था वह शहरों में बनता था, गांवों के लोग वैसे के वैसे रह जाते थे। आज हम एक कंट्रैडिक्शन में चल रहे हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं कि शहर वालों को कम से कम कारखानों में और दूसरी जगहों में इंसेंटिव की जरूरत है लेकिन मेरा कहना है कि दूसरी चीजों को बढ़ाने में वह इन्सेंटिव गांव वालों को भी तो चाहिए ताकि गांव वाले अधिक अनाज पैदा कर सकें। अगर शहरों में ज्यादा सम्पत्ति देंगे और उन की सीलिंग न लगाना यह इंसेंटिव के लिए जरूरी है। लेकिन गांव में हम सीलिंग लगायें उनकी जमीन और रूरल प्रापरटी पर सीलिंग लगाते हैं तो गांव वालों को अधिक अनाज पैदा करने के लिए कैसे इंसेंटिव होगा? मेरा कहना यह है कि अगर रुरल सीलिंग करने का फैसला सरकार ने लिया है तो इसको फौरन से फौरन दूर कर देना चाहिए। आज हम लोगों ने देखा कि शहरों और गांवों में कितना फर्क आ चुका है और सारा करप्शन शहर के अमीर आदमियों में हो गया है। शहरों में जमीनों का कारोबार करना और प्रापरटी बनाना एक अपनी किस्म का बड़ा भारी पेइंग बिजनैस हो गया है। मैं दिल्ली की बाबत बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं कि यहां पर जमीनों का खरीदना, बेचना और मकान बनाना जितना बड़ा बिजनैस है उतना बड़ा और कोई बिजनैस यहां पर नहीं हो सकता है। तमाम दुनिया का ब्लैक

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

का पैसा, रिश्वतों का पैसा लेकर सब चारों तरफ़ मकान बनाये जाते हैं और उनको इतनी आमदनी इस धन्धे से हो रही है कि आप उसका कोई अंदाज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ़ हम यहीं देखते हैं कि गरीब आदमियों को रहने को मकान भी नहीं है, झुग्गी झोंपड़ी वालों की बुरी हालत हम लोग दिन रात देखते हैं। फिर आजकल अनाज की जो इतनी कमी हो रही है वह भी हम लोग देखते हैं।

दिन रात कहा यह जाता है कि किसानों ने होर्डिंग कर ली। अगर किसान अपने गांव में बैठा हुआ अपना अनाज बेच देता है तो आज कोई ऐसी पोज़ोशन नहीं है, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि किसानों को अनाज पैदा करने के लिए मुनासिब दामों पर बीज मुहैय्या किये जा सकें आज उन खेतिहर मजदूरों के लिए जोकि आपके लिए अनाज पैदा करते हैं उनको अपना पेट भरने के लिए कहीं से सस्ता अनाज ख़रीदने का इंतज़ाम नहीं है और उनको अपना पेट भरने के लिए मंहगा अनाज खरीदना पड़ता है। किसान भूखा भी मर सकता है और दिक्कतें भी उठा सकता है अगर उसको यह तसल्ली हो कि हमारे यहां गरीब आदमी का फ़ायदा होता है। अगर आज गरीबों का फ़ायदा होता हो तो हम गांव वालों से कह सकते हैं कि भाई तुम पेट पर पट्टी बांध लो। गांव से अनाज शहरों में आता है और वहां आने पर शहर वाले उस को जमा कर लेते हैं, क़ीमतें बढ़ा लेते हैं, मकान बना लेते हैं, जायदाद बना लेते हैं। गांव वाले जब यह हालत देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारे पेट पर कस कर पट्टी बांधने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए यह जो हमने कंट्रैडिक्शंस खड़े कर दिये हैं उनको फौरन दूर होना चाहिए।

एक आख़िरी बात मैं आप से और कहना चाहती हूं। इंडियन कौंसिल औफ़ ऐप्लाइड ऐकानामिक रिसर्च ने बतलाया है कि हमारे यहां एव्रेज आमदनी 350 मिलियन लोगों की 67 पैसे से भी कम है। इसी तरह आल इंडिया एग्रीकलचरल लेबर रिसर्च की जो रिपोर्ट निकली है उसमें उन्होंने कहा है कि 16.5 मिलियन लोगों की जो इनकम है वह हमारे यहां 25 नये पैसे से भी कम है तो इसको फौरन दूर करना चाहिए।

आख़िर में मुझ को आप एक बात कहने की और इजाज़त दें। हम ने लोगों के साथ यह वादा किया था कि इस देश में आर्थिक बराबरी होगी। अगर एमेंडमेंट स्वीकार करने का समय हो, तो मैं प्रस्तावक महोदय को कहूंगी कि वह यह एमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लें कि जब तक यहां पर सीलिंग नहीं लगाती है, तब तक इन महानुभावों को, जो लाखों और करोड़ों रुपये जमा कर के शहरों में बैठ जाते हैं, कम से कम लोक सभा और एसेम्बलीज़ का चुनाव लड़ने से रोक दिया जाये और इस को आफ़िस आफ़ प्राफ़िट समझा जाये। दुनिया भर का करप्शन ये लोग फैलाते हैं। ये एसेम्बलीज़ को ख़रीदने और लोक सभा के सदस्यों को ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों एक साहब, श्री किर्लोस्कर, का भाषण निकला कि हम पार्टीज़ को पैसा नहीं देंगे, लेकिन पार्टीज़ के इंडिविजुअल्ज़ को दिया करेंगे। पहले तो मुझे यह ख्याल आया कि अपनी एप्लिकेशन उन के पास भेज दूं, क्योंकि वह इन्डिविजुवल एप्लिकेशन्ज इनवाइट कर रहे हैं। ये लोग शहरों में बैठ कर सब को करप्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं। अगर हम जम्हूरियत और प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो सब से पहला इन्तजाम यह होना चाहिए कि शहरों में सीलिंग लगा देनी चाहिए।

16 hrs.

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि अगर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो वह कम से कम कमेटी बनाने

के सम्बन्ध में जो एमेंडमेंट आई है, उस को फ़ौरन मन्जूर कर लें ।

धन्यवाद ।

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी : मोहतरिमा चेयरमैन साहबा, मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि श्री चक्रवर्ती का प्रस्ताव इस हाउस को बिना उज्र और एतराज के मन्जूर कर लेना चाहिए । जो मुट्ठी भर अमीरों की जमात है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन की वजह से हमारे मुल्क की हर एक मुखालिफ़ पार्टी के लोग ग़रीबों को उभाड़ कर हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं । मुल्क की हर एक सियासी पार्टी ग़रीबों में जा कर कहती है कि तुम्हारी ग़रीबी हम दूर करेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त, श्री चक्रवर्ती, एक बहुत क्रान्तिकारी प्रस्ताव इस हाउस के सामने लाए हैं, जिस को अमल में लाने से हम इन ग़रीबों की रहनुमाई कर सकते हैं और इन के दुख दर्द में काम आ सकते हैं ।

उन्होंने गांधी जी का यह वाकया हमारे सामने पेश किया कि वह फटे हाल में इंग्लैंड गए थे और चर्चिल ने कहा था कि यह हिन्दुस्तान का फटेहाल फ़कीर है । इस पर गांधी जी ने कहा था कि मैं चालीस करोड़ फटेहाल और ग़रीब हिन्दुस्तानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं लंगोट के लिबास में आया हूं, अगर आप मुझ से मुलाकात करना चाहें तो करें, वर्ना मैं वापस चला जाता हूं । यह आलबल जुर्रत और ताकत महात्मा गांधी में थी ।

थोड़ा सा त्याग कर के मुल्क में अमनो अमान कायम हो सकता है, ग़रीबों को राहत मिल सकती है । मैं अमीरों की मुखालिफत नहीं करता हूं, लेकिन उन को दान देना चाहिए । पुराने जमाने में दधीचि ने अपने बदन पर छिड़क कर गऊओं से चरवा लिया और हिन्दु धर्म के मुताबिक अपनी हड्डियां दान कर दीं । हमारे बहुत से दोस्त समझते हैं कि अगर ज़मीन या मिल के ज़रिये से हमारी इनकम बन्द हो गई, तो मुमकिन है कि हम पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमारे सामने रुपये का प्रश्न होगा । मैं उन को कहना चाहता हूं कि अगर वे ग़रीबों के बीच जायेंगे, तो दस जीपों और पचास मोटरों पर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी । मैं समझता हूं कि ग़रीब उन को लोक सभा, बल्कि इस से भी ऊंची जगह पर बिठाने की कोशिश करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : इस से ऊंची जगह क्या है ?

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी : प्रेजिडेंट आफ़ इंडिया भी हो सकते हैं ।

हमारी भारत सरकार और प्राविंशल सरकारों ने देहात में सीलिंग का मसला तय किया । बिहार में कृष्ण वल्लभ बाबू ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया । वहां पर मंत्रिमण्डल के कई सदस्यों ने भी उन की मुखालिफ़त की । उस समय डा० श्री कृष्ण सिंह एक्स-चीफ़ मिनिस्टर, बिहार थे । कृष्ण वल्लभ बाबू ने कहा कि अगर आप सीलिंग नहीं लाए, तो मैं समझता हूं कि बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत और मुसीबत की बात होगी । बहुत जमीन वालों और मालदार लोगों ने उन की मुखालिफ़त की, लेकिन कृष्ण वल्लभ बाबू ने कहा कि मैं दो सौ और पांच सौ एकड़ के फ़ार्म के बेसिस पर खेती करने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इस में ग़रीबों का शोषण होता है ।

स्वामी जी ने कहा कि वह इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । स्वामी जी वेदों को जानने वाले होंगे । वेद का एक श्लोक है : कृण्वंतो विश्वमार्यम् । इस के माने ये हैं कि पशु-पक्षियों की भी तरक्की हो और इंसान की भी अगर उन को खाना नहीं मिलता है, तो हम खाने के हकदार नहीं हैं और सारे विश्व में शान्ति हो ।

मैं धन वालों की कोई मुखालिफत नहीं करता हूं । वे भी जायें और ग़रीब भी

[श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी]

जीयें, मैं तो ऐसा रास्ता निकालना चाहता हूं । माननीय श्री विभूति मिश्र ने जो बात कही, वह बिल्कुल ठीक है । बड़े लोगों के बच्चे ऊंचे से ऊंचे स्कूलों में पढ़ें और काश्तकारों के बच्चे बेसिक स्कूलों में जायें, इस ऊंचाई और निचाई को खत्म करना होगा ।

हमारे पोलिटिकल सफरर्ज ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस की बदौलत आज हम सग लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं । कांग्रेस के बड़े लड़ाकू भी यहां पर बैठे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के उन पुराने और वेबस वर्कर्ज को सब से पहले जमीन दी जाये, जिन के पास कोई जमीन नहीं है । अगर वे अंग्रेजों से लड़ सकते थे, तो आज वे जमीन से लड़ाई कर के गवर्नमेंट आफ इंडिया को ज्यादा से ज्यादा खाद्य पैदा करके दे सकते हैं । अगर वे अंग्रेजों को भगा सकते थे, तो आज वे इस मुल्क में से अनाज की कमी को भी भगा सकते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले श्री चक्रवर्ती को यह प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं । आज इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की बहुत जरूरत है । गुंटूर में इस के बारे में बहुत चर्चा हुई थी और वहां पर इस सिद्धांत को कबूल किया गया था । पहले जमाने में ग़रीब और अमीर होते थे और उन में बराबरी का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन आज हम समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं । इस राज्य में हम गांधी जी के आशीर्वाद से "सर्वेजनाः सखिनो भवन्तु" के आदर्श पर चल रहे हैं—अर्थात इस देश में सब लोग सुखी हों और कोई भी व्यक्ति अपने प्राथमिक अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए । आत्मने सर्वजनाः सुखिनों भवन्तु : के सिद्धान्त को माना है । हम ने हैदराबाद में जमीन पर सीलिंग लगाने की बात को माना था । हमने इसलिये माना था कि चन्द लोगों के पास ही जमीन है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जमीन नहीं रखते हैं । इस वास्ते जमीन पर सीलिंग लगाने की बात को माना था और कहा था कि इससे लोग सुखी हो जायेंगे ।

हमारे विभूति मिश्र जी ने कहा है कि शहरों में बहुत से लोगों की जो सम्पत्ति है वह रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है । एक एक आदमी के पास कितने ही मकान हैं और उन को उन मकानों से हजारों की ही नहीं लाखों रुपये की इनकम होती है । इसके मुकाबले में आप उन लोगों को देखें जिन के पास रहने तक के लिए भी जगह नहीं है । इस वास्ते कांग्रेस ने इस बात को माना है कि जैसे जमीन पर सीलिंग लगाई गई है उसी तरह से सम्पत्ति पर भी सीलिंग लगाई जाए । जिस तरह से रूरल एरियाज में सम्पत्ति पर सीलिंग लगाई गई है उसी तरह से अर्बन एरियाज में भी प्रापर्टी पर सीलिंग लगाई जाए । इस चीज को सब लोग मानते हैं । लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको कार्यान्वित नहीं किया जाता है । हमारे स्वतंत्र पार्टी के भाई हैं जिनको बहुत खतरा मालूम पड़ता है । उस पार्टी में राजे महाराजे और पूंजीपति हैं । उन लोगों ने गांवों की सम्पत्ति को छोड़ कर शहरों में सम्पति बना ली है । इसलिए ये लोग इससे घबरा रहे हैं । मैं उनको बतलाना चाहती हूं कि यह गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है । इस देश में किसी को मार कर कोई चीज किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी । किसी को मार कर कोई चीज ले लेना यह हमारी नीति नहीं है । आपको हम जिन्दा रखेंगे ।

हम भी जीयेंगे और आपको भी जीने देंगे । लेकिन हम किसी को भूखों मारने वाले भी नहीं हैं । मैं चाहती हूं कि कानून बदलना चाहिये और जो इस प्रस्ताव की भावना है उस को स्वीकार किया जाना चाहिये और जल्दी से जल्दी इस काम को हाथ में लिया जाना चाहिये । अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे चल कर बहुत मुश्किल हो जाएगी ।

गुंटूर सभा के बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज़ की सम्पत्ति पर भी सीलिंग लगाने की बात आगे बढ़ाई है, वहां पर इस के बारे में एक कानून लाया गया है और वहां पर सीलिंग लगाने की कोशिश हो रही है । हमारे वित्त मंत्री को मालूम होना चाहिये कि यह रेजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है । इस में बहुत अच्छी चीज कही गई है । आपको विभिन्न प्रान्तों को जल्दी से जल्दी इस बारे में सलाह देनी चाहिये और उनको बताना चाहिये कि जिन लाइंज़ पर आंध्र गवर्नमेंट सोच रही है और जिन लाइंज़ पर वह गवर्नमेंट चल रही है, उन्हीं लाइंज़ पर दूसरी स्टेट गवर्नमेंटस भी चलें ।

मैं समझती हूं बहुत विपत्ति आने वाली है । शहरों में रहने पर कोई रोक टोक नहीं है, गांव वालों पर पर बहुत रोक टोक होती है, वहां पर सीलिंग भी लगी हुई है यहां पर सीलिंग भी नहीं है, वहां पर सहूलियतें भी कम हैं और शहरों में सहूलियतें भी अधिक हैं । शहरों में हर प्रकार की सहूलियतें हैं । इसका नतीजा यह हो रहा है कि गांव वाले बड़ी संख्या में शहरों में आ कर बस रहे हैं । इसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ रहा है । वहां पर मजदूर मिलना भी मुश्किल हो रहा है । आप चाहते हैं अनाज की पैदावार बढ़े । वहां पर जब मजदूर मजदूरी करने के लिये ही मिलना मुश्किल हो रहा है तो कैसे पैदावार बढ़ सकती है । वहां पर लैंड पर सीलिंग भी लगा दी गई है । सहूलियतें भी वहां कम हैं । जहां तक प्राइमरी नीड्ज़ का सम्बन्ध है, खाने पीने की चीजों का सम्बन्ध है, कैरोसीन और शूगर इत्यादि का सम्बन्ध है, कपड़ा सीमेंट इत्यादि का सम्बन्ध है, ये वहां चीजें मिलनी मुश्किल हो गई हैं । इन कारणों से गांवों के लोग शहरों की ओर चले आ रहे हैं । अगर आप शहरी सम्पत्ति के ऊपर सीलिंग करेंगे तो जरा सा गांव वाले लोगों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और वे गांव में ही रहना ज्यादा पसन्द करेंगे । गांव में आप सहूलियतें भी दे दें तो इससे भी काफी अन्तर पड़ सकता है ।

इस रेजोल्यूशन को कबूल कर लिया जाना चाहिये । अगर आप कबूल नहीं करते हैं तो आपको वादा करना चाहिये कि आप जल्दी से जल्दी इसको सब स्टेट्स के अन्दर लागू करने की कोशिश करेंगे । पुराने जमाने में गांव वालों को सहूलियतें अधिक होती थीं, शहरवालों को कम होती थीं । खाने पीने की सहूलियतें गांव में ज्यादा होती थीं और शहरों में कम । वहां पर मक्खन, घी, दूध, खाना पीना तमाम आसानी से मिल जाता है । बच्चे तथा दूसरे लोग गांवों में खाने पीने के लिए जाया करते थे शहरों को छोड़ कर । आज कल क्या हो रहा है । गांव छोड़ कर खाने पीने के लिए लोग शहरों की तरफ दौड़े आ रहे हैं । उलटा ही मामला हो गया है । यह गलत चीज है । यह गलत है कि शहरों में ही हम तमाम चीजें दें, तमाम सुविधायें दें । गांवों में बच्चों को दूध पीने के लिये नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि तमाम शहर में आ जाता है । वहां पर कपड़ा नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलती है । मिनिस्टर साहब

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

अचानक अगर गांव में चले जायें तो उनको दूध के लिए चीनी तक नहीं मिलेगी। सारी चीज शहरों में आ जाती है । फूड प्रोडक्शन बढ़े, इस दृष्टि से भी आप के लिए यह जरूरी है कि आप शहरी सम्पति पर सीलिंग लगायें । इस से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है । गांव के लोग गांव में ही बसे रह सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

Shri K. D. Malaviya (Basti): Madam Chairman, this Resolution moved by my friend Mr. Chakraverti is another reminder of our failings. I think it is high time that Government which is committed to a programme of socialism should seriously consider whether they really mean business with regard to the implementation of this programme of ceiling on urban land. This is directly related to the programme of housing and we are committed to give, even under the scheme of welfare society, a house to every citizen besides other five pillars of the welfare society. Let us see how we can do it. If we do not go fast in constructing houses according to modern methods we may have to face the task to built about 90 million houses in order to give a house to everybody. According to some rough calculation, it will take 42 years to build all those houses following the present system of our house construction. Obviously, by the time 42 years lapse, our population will be 900 millions. So, we will then require about 180 million houses to be built. We can never catch up with the programme of housing unless we all adopt the socialist method of construction of houses where there is not only the ceiling on land but the land becomes the property of the State, and where the construction of houses becomes the obligation of the State. It is no more possible for us, who call ourselves socialists and who are dedicated to the social programme, to let this programme remain in the hands of those masons or *sahukars* or *babu sahibs* or *raja sahibs* to build the houses and allow them to let them on hire. This is an out-dated concept which must be scrapped and destroyed and the sooner we forget about it, the better it is.

What is more relevant is a reminder, once more, for the people who have taken the responsibility of carrying on the administration of this country either to fasten to it or to abandon this programme which we have committed ourselves to. We must decide once and for all whether we have to give houses to our citizens or not. If we decide that we have to give houses to our citizens, then the natural corollary is that we must take all the land under the control of the State and also all the houses under the control of the State. It is no more possible for us to let people build hundred houses for themselves and let them give on rent and earn a colossal amount of money and still we call ourselves a socialist State.

This is all I would like to say and I hope the Government will seriously consider whether they are willing to implement this programme and, if not, then it is better for them to give up this programme and not to talk about it.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : जो प्रस्ताव चक्रवर्ती जी लाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं । यह बहुत कम्पलिकेटिड सवाल है, इस में कोई शक नहीं है । लेकिन समय का यह तकाजा है कि जिस नीति को हम लोगों ने अपनाया है, जिस गोल को हम ने अपनाया है, सोशलिज्म के गोल को, उसको देखते हुए इस स्कीम को लागू करें और सरकार एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव बिल लाए जिस में कि अर्बन लैन्डेड प्रापर्टी का

सवाल तय हो जाए । आपने रूरल एरियाज में लैंड पर सीलिंग लगाई और वहां की आमदनी को आपने बांध दिया है । शहरों में भी अगर आपने उस चीज को नहीं बांधा तो यह डिसपैरिटी जो शहरों और देहातों में है, यह बहुत बड़ी हो जाएगी और 85 प्रतिशत देहातों की जो आबादी है, उस में हार्ट बर्निंग होगा । वह आज भी हो रहा है । जितने ऐसे कानून हैं जिन से देहात के रहने वालों की आमदनी कम होती है और शहरों में रहने वालों की आमदनी बढ़ती है, इससे लोगों के दिलों पर वहां तरह तरह की बातें उठती हैं । अगर आपने शहरों में इस चीज को कर दिया तो यह जो बात है, यह खत्म हो जाएगी।

अभी चक्रवर्ती साहब ने बोलते हुए थैकर कमेटी की सिफारिशों की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है । मैं समझता हूं कि जिस आधार पर लेबर एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में इमारतें बनाने की बात है, उसी आधार पर इस तरह का एक काम्प्रिहेंसिव बिल आना चाहिए जिससे यह मामला तै हो जाए ।

दूसरी बात यह है कि जितने कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं या गरीब लोग हैं उन सब लोगों को घर का भाड़ा बहुत ज्यादा देना पड़ता है । अगर गवर्नमेंट की तरफ से यह स्कीम हो जाए कि गवर्नमेंट मकान बना कर इन लोगों को उसी तरह रीजनेबिल किराए पर दे जैसे कि एमपीज़ आदि को देती है, तो यह मसला हल हो जाएगा ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट मकान बना कर उन लोगों को जिन के पास घर नहीं है हायर परचेज सिस्टम पर दे, जिससे जिन लोगों के पास घर नहीं हैं उन के पास घर हो जाएं । यह स्कीम बहुत आवश्यक है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो शहरों में रहते हैं केवल उनकी ही आमदनी पर उन के बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा आदि का भार है, और कुछ ऐसे लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, जिनको कम्पेनसेशन का रुपया मिला है और उनकी देहात में भी आमदनी है और वे शहरों में भी भी घर बना कर आमदनी कर र हैं । इन सब बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए और ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि इन में भी समानता लायी जाए ।

हमारे पंडित विभूति मिश्र ने सवाल उठाया था कि जब आप ने लैंड सीलिंग रूरल एरिया में किया है और अब शहरों की जायदाद पर भी सीलिंग करने जा रहे हैं । लेकिन उन की आमदनी शहरों में मकानों से है और सरविस से भी है उन के मुकाबले में और लोगों को हार्ट बर्निंग होगी । जब तक यह विषमता खत्म नहीं होगी तब तक लोगों में बर्निंग रहेगी । अल्टीमेटली आपको इंडीवीजुअल इनकम पर भी सीलिंग करनी होगी । लेकिन यह तो आगे का स्टैप है । अभी तो सोशलिज्म की तरफ आपका यह पहले कदम होगा कि आप शहरों की और देहात की आमदनी की डिसपैरिटी को दूर करें ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस प्रस्ताव का विरोध न करे बल्कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल लावे ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्तावक महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सुन्दर प्रस्ताव के द्वारा, हमारा ध्यान अपनी उन प्रतिज्ञाओं की तरफ दिलाया है जिन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं ।

महोदया, इस सदन में चर्चा के दौरान हमारे सामने यह बात कही गयी क्या अरबन

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

सीलिंग के द्वारा गरीबी को वितरित किया जायेगा, ऐसा करने से गरीबों को बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह का तर्क मूलतः गलत है। हम गरीबी को खत्म करने के लिए दौलतमन्दी को खत्म करना चाहते हों ऐसी बात नहीं है। अरबन सीलिंग जो हम करना चाहते हैं वह इस खयाल से करना चाहते हैं कि अगर देश के चन्द आदमियों के पास दौलत रहती है तो उनके हाथ में देश का शोषण करने की ताकत रहती है। अरबन सीलिंग का न रखा जाना इस बात का द्योतक है कि हम इस देश के मुट्ठीभर आदमियों को यह मौका दिये हैं कि वह इतनी सम्पत्ति बटोर कर रखें जिस के द्वारा वे बाकी के समाज का शोषण कर सकें। देश में यह जो शोषण चक्र चल रहा है चन्द पूंजीपतियों के द्वारा, उसको खत्म करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम अरबन सीलिंग करें।

एक बात कही गयी कि हम उत्पादन पर सीलिंग क्यों करना चाहते हैं। मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ। अरबन सीलिंग के मानी उत्पादन पर सीलिंग करना नहीं है। क्या उत्पादन तभी हो सकता है, जब किसी किसी सेठ की हवेली के नीचे हो, जब किसी दौलतमन्द के कारखाने में हो। अगर देश का बनाया हुआ एक कारखाना हो, या समाज का बनाया हुआ एक कारखाना हो, तो क्या उसकी छाया में उत्पादन नहीं हो सकता? यह मूलतः गलत खयाल है कि यदि एक व्यक्ति को तरक्की की गुंजाइश दी जायेगी, केवल अपनी तरक्की करने की गुंजाइश, तभी इस देश की तरक्की हो सकेगी। वरना नहीं। हम इस विचार के मूल पर ही कुठाराघात करना चाहते हैं।

अब वक्त आ गया है कि इस देश के लोग इस बात को समझ लें, इस देश के दौलतमन्द इस बात को समझ लें कि यह उनका कर्तव्य है कि कल तक जो वह कमाई अपने ही लिए करते थे, आज से उस को सारे देश के लिए समर्पित करें। इस भावना को उनको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहिए।

हम चाहते हैं कि व्यक्ति को विकास करने के साधन अवश्य दिये जायें, लेकिन विकास करके उसे जो सम्पत्ति प्राप्त होती है उसे उस सम्पत्ति को देश की पूजा में अर्पित करना चाहिए न कि अपने स्वार्थ साधन में। हम इस बात को बुरा समझते हैं कि एक तरफ तो एक आदमी के पास उसका अपना एक घर भी न हो और दूसरी तरफ एक आदमी के पास इतने मकान हों कि जिनके किराये की आमदनी से वह और उसकी आने वाली पीढ़ियां समाज का शोषण करती रह सकें और शराब, ऐयाशी और मौज की जिन्दगी बिताएं।

मैं शहर से आया हूं और शहर के सब आदमियों ने, गरीबों ने और अमीरों ने, मुझे इज्जत दी है। उसी का यह तकाजा है कि मैं देश के सामने यह बात रखूं कि जिस प्रकार गरीबी पाप है, उसी प्रकार अधिक दौलतमन्दी भी पाप है, भीषणतर पाप है, जो इस देश में फैला है, जिसके कारण चन्द आदमियों के पास दौलत इकट्ठी हो गयी है, जिससे वे शोषण चक्र को चलाया करते हैं।

सभानेत्री जी, आप ने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं इस प्रस्ताव को हमारे वायदों की दृष्टि से और उस न्याय की दृष्टि से जो न्याय कि हमको लोगों के लिए करना है, बहुत मौजूं समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : सभानेत्री जी, मैं केवल दो तीन मिनट इस चर्चा के प्रसंग में लूंगा। हम ने समाजवाद का फैसला किया है। समाजवाद के फैसले के साथ साथ हमारी दो समस्यायें हैं। एक तो समस्या यह है कि जो धन है उसके समान वितरण की व्यवस्था हो। और दूसरी समस्या यह है कि धन की कमाई का जो अनुत्पादक तरीका कहा जाता है उसको समाप्त किया जाये। हम ने अपने संविधान में जो निर्देशक सिद्धान्त रखे हैं उनके अन्तर्गत यह सिद्धान्त आता है।

साथ ही साथ मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले यह प्रश्न उपस्थित हुआ हमारे देश में कि हमारी जो बढ़ी हुई आमदनी हैं, जिसका उल्लेख हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल अविश्वास के प्रस्ताव का उत्तर देते हुए किया था, वह कहां गयी। उसके बारे में एक विश्लेषण किया गया जिससे हमें पता चला कि करीब 46 प्रति शत हमारी बढ़ी हुई आमदनी उन लोगों के पास गयी जिनको कहा जा सकता है कि वे कोई उत्पादक कार्य नहीं करते, या जिनके शहरों में मकानात हैं और जिन्होंने दूसरे प्रकार की जमीनें ले रखी हैं। हमारी बढ़ी हुई आमदनी का सब से बड़ा हिस्सा उनके पास गया है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें जो अपने शहरों का ठीक से प्रबन्ध करना है, जो सार्वजनिक सुविधाएं देने का प्रश्न हमारे सामने है, यह जो अरबन प्रापर्टी का सिस्टम है यह उसके मार्ग में बाधक सिद्ध होता है।

इस कारण मैं चक्रवर्ती जी के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव सरकार को किसी उपयुक्त साधन के द्वारा हमारी समाजवाद के सिद्धान्त में जो आस्था है उसको पूरा करने की ओर प्रेरित करेगा।

आपने समय दिया इस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : चेयरमैन महोदया, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शहरी पूंजी सीमा प्रतिबन्ध पर आज इस सदन ने बहस की और इसमें अधिकांश माननीय सदस्यों ने भाग लिया और इसका समर्थन भी किया।

इसके पीछे जो मूल भूत सिद्धान्त है कि पूंजी और सम्पत्ति का उचित वितरण हो और चाहे शहरों में या देहातों में यदि आर्थिक क्षेत्र में पूंजी का एकत्रीकरण हो तो उसे हम रोकें, इस सिद्धान्त में कोई दो राएं नहीं हैं। जहां तक हमारे संविधान का सवाल है, उसमें भी डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस बात को स्वीकार किया गया है। हम जिस संस्था के मातहत काम करते हैं उस संस्था का यह एक उद्घोषित उद्देश्य है कि हम देश में ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसमें सब को समान अवसर मिले। हम चाहते हैं कि समाजवाद के आधार पर देश में पूंजी का नियंत्रण हो और पूंजी के एकत्रीकरण को हम रोकें। इसीलिए पिछले दिनों आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी में यह प्रस्ताव पास हुआ सर्वसम्मति से तो उस का यह मतलब नहीं, यद्यपि उस प्रस्ताव ने काफ़ी इस बात पर छूट दी है कि जो मूलभूत उद्देश्य हैं उन को हम पूरा करें। यह नहीं कहा कि सिर्फ एक ही तरीके से हम पूरा करें, सीलिंग लगा कर और दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इसी एक सवाल के जवाब के बारे में कल जो मैं ने इस सदन में दिया था उधर दिलाना चाहता हूं और उस से सरकार का जो इस मामले में रुख है वह पता चल जाता है। श्री कामत ने पूछा था कि क्या शहरी जायदाद की सीमा पर

[श्री ब० रा० भगत]

कोई प्रतिबन्ध लगेगा और उस के बारे में सरकार ने क्या क़दम उठाया है ? मैंने जवाब दिया था कि चूंकि इस सवाल में काफ़ी पेचीदिगियां हैं, कई पहलुओं से उस पर हमें सोचना पड़ रहा है और इस में राज्य सरकारों, लोकल बौडीज, और बहुत सारी जो कारपोरेशंस वगैरह हैं चूंकि उस शहरी सम्पत्ति की हक़दार वह बौडीज हैं इसलिए उन से विचार किया जायगा और साथ ही साथ जो क़ानूनी अड़चनें हैं, उन अड़चनों और पेंचों को खोलेंगे ताकि जो कोई भी हम क़ानून बनायें वह किसी क़ानूनी अड़चन में, दलदल में पड़ कर रुक न जाये । इसलिए इन बातों की छानबीन कर रहे हैं ।

श्री के० दे० मालवीय : क़ानून तो बनाया जाता है अपनी पालिसी को पूरा करने के लिए । क़ानून तो कभी दिक्कत डाल ही नहीं सकता ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक बेसिक पालिसी का सवाल है इस में दो राय नहीं हैं लेकिन यह अपनी पालिसी क्या केवल एक ही तरीके से सीलिंग लगा कर ही हम उस को हासिल कर सकेंगे ? इसलिए जैसे मैं ने कहा इस के बारे में सोचना है कि क्या और कोई तरीक़ा इस को पूरा करने के लिए नहीं हो सकता है ?

श्री के० दे० मालवीय : कोई दूसरा तरीक़ा बतलाइये ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने तो यह कहा कि इस बात पर हम बहुत गहरी तौर से इस की छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र ही हर पहलू से जैसे मैं ने कहा इस सारे प्रश्न को हम रखेंगे । पहले तो प्लानिंग कमीशन में जहां इन बातों की छानबीन हो रही है इस सवाल के सारे पहलू रखेंगे । उस के बाद नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में जहां राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री आते हैं उनके सामने इस मसले को रखेंगे और तब केन्द्रीय सरकार के सामने यह मसला रखा जायेगा । फिर सभी राज्य सरकारों से बातचीत कर के इस बारे में एक नीति तय करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : यह 100 वर्ष का प्रोग्राम चिन्तन, मनन और विचार करने का मंत्री जी ने बनाया है ।

श्री ब० रा० भगत : यह 100 साल का नहीं है बल्कि यह कुछ ही महीनों में होने वाला है ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : आप की आज्ञा से मैं एक बात कहना चाहता हूं . . .

श्री ब० रा० भगत : मुझे पहले कह लेने दीजिए । बाद में जो भी बातें आप पूछना चाहेंगे उनका जवाब मैं दे दूंगा ।

श्री बाल्मीकी : मुझे विशेष कुछ निवेदन नहीं करना था, सिवाय इस के कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे लोकल बॉडीज आदि से इस बारे में सलाह मशविरा करेंगे ताकि इस बात के पेंचों को खोला जा सके तो मेरा खयाल यह है कि उससे यह पेंच और अधिक पेचीदा हो जायेंगे जिनको कि खोलने में सालहा साल लगेंगे और नतीजा यह निकलेगा कि यह मामला तय ही नहीं हो पायेगा ।

श्री ब० रा० भगत : बिना समझे, बूझे अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें पेंच पड़ सकते हैं और रास्ते में रुकावट पड़ सकती है । हमें तो देखना यह है कि जो हमारा लक्ष्य है वह हमें प्राप्त हो और इसके लिए जो भी कदम हम उठायें, रास्ता अपनायें वह सही और दुरुस्त हो यही चीज मैं सदन को बतलाना चाहता था । बाकी जहां तक उस उद्देश्य का सवाल है उसमें कोई दो राय नहीं हैं और हम सभी उससे सहमत हैं ।

अभी जिन बातों पर हम ने गौर किया इस मामले में, मोटे तौर पर मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं, । वर्तमान रूप में यह जो प्रस्ताव है और इस के साथ जो संशोधन है, अब उसी रूप में इसे मान लेना तो अपने को बांध लेना होगा । इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय से और उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कि अपने अपने अमेंडमेंटस दिये हैं उन से मैं यह आग्रह करूंगा कि वे उन को उसी रूप में स्वीकार करने के लिए जोर न दें क्योंकि इस से हमारे पेंच में पड़ जाने का खतरा है और वह मकसद जो हम हासिल करना चाहते हैं उस तक न पहुंच पायेंगे । ध्येय हमारा भी वही है और उसमें कोई दो राय नहीं हैं । मैं दो, चार अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम इस रूप में इस को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?

संशोधनों में अब जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र ने कह कि पांच गुना अरबन प्रापरटी, जो पर कैपिटा इनकम एक आदमी की है, उससे वह पांच गुना अधिक है । यह सीलिंग अथवा प्रतिबन्ध होने से अब यह समझिये कि पांच गुने के मानी होते हैं 400 हम रक्खें, 400 से कम है हमारे एक आदमी की आमदनी एक दिन की, तो वह 2000 रुपये के आती है । अब 2000 रुपया सीलिंग हम किसी शहर में रख दें,—वह 10 ईंट बिठा दे, जमीन का एक टुकड़ा ले ले तो उस में भी 2000 खर्च हो जाता है । उस के दाम आप निश्चित करें तो इसलिए वह व्यवहारिक नहीं है । दूसरे तरीके से यह कहना कि चूंकि हम ने गांवों की, खेती की जमीनों पर सीलिंग लगायी है, इसलिए यहां भी लगाना चाहिए तो मेरा कहना है कि दोनों में साम्यता नहीं है । हम खेती के ऊपर जो सीलिंग लगायेंगे उस में समाजवाद और पूंजी के वितरण का सवाल है मगर उस से एक बड़ा सवाल यह भूमि और खेती का है क्योंकि भूमि जो हमारी पैदावार का एक बड़ा साधन है उस का अभाव है उसे हम बढ़ा घटा नहीं सकते । घटा शायद सकें लेकिन बढ़ाना मुश्किल है । इसलिए उसका ऐसा उपयोग हो कि फी एकड़ पैदावार हमारी बढ़ सके । जो मजदूर हों या छोटे बड़े किसान हों उन को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिले और ऐसी भूमि की व्यवस्था करें । यह मूल बातें थीं ।

इस तरीके से शहर में दूसरे सिद्धांत भी लागू होते हैं । यह मैं मानता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दिल्ली, बम्बई या दूसरे बड़े बड़े शहरों में लोगों ने मकानों के रूप में काफी अधिक अचल सम्पत्ति बना रक्खी है । दिल्ली का उन्होंने उदाहरण पेश किया और मैं भी उससे इंकार नहीं करता कि यहां दिल्ली में पिछले 15 साल से हम यह देखते आ रहे हैं कि आज से 13–14 साल पहले यहां दिल्ली में जिन्होंने किसी जमीन के खरीदने में अपनी 10,000 रुपये की पूंजी लगाई थी, आज उस जमीन के भाव बहुत अधिक बढ़ ग हैं, मकान भी उन्होंने नहीं बनायें हैं लेकिन खाली उनकी जमीन का भाव 20 गुना हो गया है , 40 गुना भी हो गया है, कहीं कहीं 10 रुपये गज की जमीन का भाव आज 200 रुपये है बल्कि उससे भी कहीं कहीं ज्यादा है । यह एक तरीके से उन्होंने कमाया नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनकी जमीन का भाव इतना बढ़ जायें । उन्होंने कोई अपनी मेहनत नहीं की न उन्होंने पूंजी लगाई । यह इसलिए हुआ कि पिछले दिनों हम उत्थान और विकास के कामों में लगे रहे और जमीन के भाव बढ़े । इसलिए इसका मुकाबला हमें करना चाहिए । इस तरीके से शहरों में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति लोगों के हाथों में इकट्ठी हो कर आ गई । यह सम्पत्ति का जमाव इस ढंग से हुआ है जिससे समाजवाद के विपरीत हम जाते हैं और भी दूसरे आर्थिक रूप से एक हमारे तंत्र में गड़बड़ पैदा हुई है । जाहिर है कि इसका मुकाबला करना है । इस के लिए क्या करें, क्या कदम उठायें जिससे यह जो बीमारी

[श्री ब० रा० भगत]

हो रही है यह गड़बड़ पैदा हो रही है और कुछ लोगों के हाथों में पंजी और धन इकट्ठा हो रहा है यह रुके ? क्या हम सीलिंग लगा कर यह काम कर सकते हैं या और कुछ बात करनी आवश्यक है यह सवाल आज हमारे सामने पेश है ।

अब जहां तक सीलिंग की बात है, प्रतिबन्ध लगाने की बात है आप देखेंगे कि पूंजी या सम्पत्ति शहरों में कई ढंग से कई लोगों के हाथ में है । कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मुनाफा नहीं करते जैसे गवर्नमेंट और सेमी इंस्ट्रीट्यूशंस वगैरह । अब वैसे तो सब से बड़े पूंजीपति शहर दिल्ली के स्वयं खन्ना साहब हैं जिन्होंने कि बड़े बड़े मकान और आलीशान इमारतें बनवाई हैं और अभी भी बनवा रहे हैं जोकि करोड़ों रुपये की मालियत के होंगे उन को ले लिया जाय और उन पर यह प्रतिबन्ध लगाया जाय, वह तो नहीं होना चाहिए उसमें तो कोई दो राय नहीं हैं । इसी तरह से दूसरी बड़ी सम्पत्ति है बड़े कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की, तो उनकों भी हम छू नहीं सकते क्योंकि उसमें भी सब सदन की एक ही राय होगी कि उन पर यह रोक न लगाई जाये । तीसरे जो नौन प्राफिट आरगनाइजेशस हैं, कोई समिति है या समाज में काम करने वाले हैं, या कलचरल, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं अथवा शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसे लोगों की भी काफी सम्पत्ति है, उन को भी हम छूना नहीं चाहते । बाकी और प्राइवेट कारपोरेशंस हैं रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, व्यक्तिगत रूप में जिनकी कि सम्पत्ति है अब इन के बारे में क्या करना चाहिए यह व्यवहारिक बातें हैं जोकि मैं आप के सामने रखना चाहता हूं ।

मैं ने कहा है कि इस सिद्धांत को कबूल करते हुए आज इस विषय में जो व्यावहारिक दिक्कत हो रही है, उस पर विचार कर के हम एक सही रास्ता निकालना चाहते हैं, अगर आप चाहें कि शहरों में सम्पत्ति पर थोड़ा प्रतिबन्ध लगा दें, तो उसका असर क्या होगा ? उसका असर यह होगा कि शहरों म कोई भी मकान बनने बन्द हो जायेंगे ।

श्री मालवीय ने कहा कि हमें समाजवाद लाने के लिए सोशलिस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाना चाहिए, शहरों की सब जमीनें किसी आदमी के हाथ में नहीं होगी चाहिए, उन जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिस तरह से समाजवादी देशों में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, हम भी वैसा ही प्रोग्राम बनायें और बड़े पैमाने पर बनायें, ताकि सब को रहने के लिए मकान मिले । हम ने इस पर विचार किया और एक वर्किंग ग्रुप बनाया । अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली, बम्बई और ऐसे बड़े शहरों में हम बड़े पैमाने पर मकान बनाने का काम करें —और करना चाहिए यह मकान बनाने का काम—, ऐसे शहरों में मकानों की दिक्कत न रहे और सब लोगों को आम तौर पर मकान मिलें, तो इस बारे में अन्दाज लगाया गया है कि अगले दस साल में करीब-करीब 165 लाख, मकान चाहिए । अगर वह मकान दो कमरे वाला हो, कोई बड़ा मकान न हो और अगर एक मकान की कीमत छः हजार रुपये हो, तो अगले दस साल में 10,000 करोड़ रुपया चाहिए—यानी एक साल में 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, तब ऐसे मकान बनें ।

चाहे सरकार की तरफ से पंजी लगे, चाहे व्यक्तिगतरूप से, चाहे को-आपरेटिव आर्गनाइजेशन्ज या दूसरी संस्थाओं की तरफ से पूंजी लगे, यह जरूरी है कि शहरो की बढ़ती हुई आबादी और उस के लिए मकानों की जरूरत को देखते हुए हमें उतनी पूंजी लगानी ही पड़ेगी । मैं ने आप के सामने एक तस्वीर रखी है कि इस के लिए हमें 1,000 करोड़ रुपया साल में लगाना है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती

हूं। मंत्री महोदय की यह यह धारणा निर्मूल है कि अगर शहरों में सीलिंग लगा दी गई, तो मकान बनाने वाला या जमीन खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोग जमीन खरीद कर उन पर काफी मकान बना कर रखते हैं, तो बेचारे छोटे लोगों को मौका कहां मिलता है ? अगर सौ पचास लोग मिल कर बारह रुपये गज वाली जमीन को दो सौ रुपये गज पर खरीदें, तो छोटे आदमी वहां नहीं जायेंगे। मंत्री महोदय की यह धारणा निर्मूल है कि बड़े लोग मकान नहीं बनायेंगे, तो मकान नहीं बनेंग।

श्री ब० रा० भगत : मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल गलत समझा या गलत ढंग से मेरी बातों को कहा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमें यह नीति तय करनी पड़ेगी कि हम मकान बनाना व्यक्तिगत हाथों में छोड़ें या को-आपरेटिव इंस्टीट्यूशन्ज के हाथों में छोड़ें या सरकार स्वयं उनको बनाए। मैंने यह नहीं कहा कि बड़े आदमियों के हाथों में छोड़ दें। यह मेरे मुंह में बिल्कुल गलत बात रखना होगा। मुझे इसका अफसोस है और में प्रोटेस्ट करता हूं। मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही।

मैं तो यह कह रहा था कि हमें पालिसी में यह तय करना है कि चाहे किसी ऐजेन्सी से हम मकान बनवायें, पूंजी लगानी पड़ेगी। मैं ने आप के सामने तस्वीर रखी है कि अगले दस सालों में 1,65 लाख मकान बनने चाहिये,--और एक मकान 6,000 रुपये से ज्यादा का न हो--तब हम बड़े शहरों में मकानों की समस्या को थोड़ा बहुत हल कर सकते हैं। इस के लिए साल में 1,000 करोड़ रुपये और अगले दस सालों में 10,000 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। हमें यह तय करना चाहिये कि यह पूंजी सरकार लगाए, को-आपरेटिव इंस्टीट्यूशन्ज लगायें, या निजी व्यक्ति लगायें और उसके लिए लोअर इनकम हाउसिंग और मिडल इनकम हाउसिंग की योजनायें आदि बनाई जायें। मैं यह नीति की बात कर रहा हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं बता रहा हूं। अगले पांच, दस सालों में पंच-वर्षीय योजनाओं में हम क्या तरीका अपनायें यह हमें तय करना है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : पहले शास्त्री जी को पूंजीपतियों की कैद से निकालें।

श्री ब० रा० भगत : हमें इस सवाल पर विचार करना है और इस का हल सोचना है। जैसा कि सवाल के जवाब में मैं ने बताया, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और अभी हम ने इस बारे में कोई निश्चित राय नहीं बनाई है। इन बातों का हल निकाल कर हम सदन के सामने आयेंगे और अपनी राय रखेंगे। मेरे मुंह में कोई बात रखना और वह कहना कि मैं यह चाहता हूं, यह ठीक नहीं है।

श्री बाल्मीकी : पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में आवास के सम्बन्ध में सोचा जा रहा है, लेकिन ग़रीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में ग़रीबों के लिए नहीं सोचा गया, तो चौथी योजना में क्या सोचा जायेगा ? यह पूंजीवादी मनोवृत्ति की बात है और मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री ब० रा० भगत : अगले पांच साल में, पंच-वर्षीय योजना में, 19,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, पूंजी लगेगी और 2,150 करोड़ रुपये का करेंट आउट-ले होगा। 11,000 करोड़ रुपये की बचत व्यक्तियों से होगी, जिसे हम प्राईवेट सेविंग्ज कहते हैं। कैपिटल

[श्री ब० रा० भगत]

फ़ार्मेशन, पूंजी निर्माण, 8,000 करोड़ रुपये का होगा और बाकी यहां के और बाहर के कर्ज़ों से मिल कर होगा ।

हमें यह सोचना होगा कि हमें प्राईवेट सेविंग्ज को किस हद तक बढ़ाना है । अभी सदन ने इस बात को माना और बजट में हम ने आय-कर का रेट कम किया, ताकि कैपिटल फ़ार्मेशन हो, लोगों को यह एनकरेंजमेंट मिले कि वे ज्यादा बचत करें । हम ने इन डायरेक्ट टैक्सिज़ कुछ कम करने की कोशिश की और यह तय किया जो प्रोडक्शन बढ़ायेगा, उस को हम 25 परसेन्ट की छूट देंगे । यह नीति मानी गई कि हम प्राइवेट सेविंग्ज को बढ़ायें । हम इस नीति में मार्जिनल रूप से रद्दो-बदल कर सकते हैं, मौलिकरूप से नहीं । अभी तक ज्यादा हाउस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट सेविंग्ज़ के आधार पर हुआ है और इस लिये हम कोई ऐसा काम करें कि इस को नुक्सान पहुंचे, तो यह ठीक नहीं होगा ।

और भी कई बातों पर विचार करना है । सब शहरों में ज़मीन महंगी है, क्योंकि ज़मीन का अभाव है । एक स्क्वेयर गज़ भूमि का भाव बहुत ज्यादा है । इस लिये आज-कल पांच-तल्ले, सात तल्ले और दस-तल्ले मकान बनने लग गये हैं । यह सोचना होगा कि अगर को-आपरेटिव संस्थायें मकान बनाती हैं, तो हम उन को छूट दे दें कि उन पर यह लागू नहीं होगा । यह भी विचार करना होगा कि अगर कोई आदमी निजी पूंजी लगाता है, तो मल्टी-स्टोरीड मकान बनाये—अगर छोटा मकान बने, तो वह ज़मीन का ठीक उपयोग है या नहीं । इन सब सवालों पर हम विचार कर रहे है । इन पर विचार करके हम सदन के सामने आयेंगे । सब की राय लेकर एक नीति रखेंगे । जैसा मैंने शुरू में कहा जो प्रस्ताव माननीय सदस्य लाये हैं और जिस विचार से लाये हैं उस विचार में हमारी पूरी आस्था है, इसकी स्पिरिट में हमारी पूरी आस्था है । ए० आई० सी० सी० में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ हम सब उससे बंधे हुए हैं । ए० आई० सी० सी० ने हमें इस मकसद को हासिल करने के लिए काफी छूट दी है । इसलिये इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं । हम भी नहीं चाहते हैं कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को छूट दे दी जाये कि वे मकान बनाते चले जाय और बड़ी बड़ी पूंजी शहरों में इकट्ठी होती रहे । लेकिन इन सवालों को हल कैसे करें, इस पर विचार कर रहे हैं । जैसे मैंने कल जवाब दिया था कुछ दिनों में यह हो जायेगा । हमारे माननीय सदस्य श्री मालवीय जी ने कहा कि दस साल लग जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि दस साल नहीं लगेंगे । हम चाहते हैं कि जल्दी इस सवाल को तय करें, इस साल में ही हम इस बात पर विचार करके इसके बारे में नीति हम लोग तय करें ।

चूंकि हम इस काम में लगे हुए हैं और आप सब का सहयोग चाहते हैं, इसलिये मैं कहूंगा कि जिस रूप में प्रस्ताव और संशोधन आये हैं, माननीय सदस्य उस प्रस्ताव और उन संशोधनों को वापिस ले लें ।

श्री बे० शि० पाटिल : मैं एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं । इन्होंने कल जवाब देते हुए कहा था :

"The legal and administrative aspect of this question requires expert investigation.." etc.

मैं जानना चाहता हूं कि यह एक्सपर्ट इनवैस्टीगेशन कब तक हो जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने बताया है कि हम जल्दी ही कुछ तय करेंगे और चाहते हैं कि इस साल के अन्दर अन्दर इसके ऊपर कोई नीति तय हो जाये।

Shri P. R. Chakraverti: In reply to the spokesman of the Swatantra Party, I have only to quote one very eminent scholar, Dr. Walthr Funk, President of the Reichsbank and Minister of Economics. Like other hon. members of his party, the spokesman of the Swatantra Party has added but still I quote Dr. Walthr Funk:

> "I tried to influence the party's economic policy by impressing on Hitler—and the party as a whole —that private initiative, the self-reliance of the businessman and the creative powers of free enterprise should be recognised as the basic economic policy."

Immediately Hitler said: "I am the enemy of State economy". The Swatantra Party spokesman may read that quotation.

In reply to my young friend, the Minister of Planning, I have to quote another quotation. That is from Hitler, the man who was responsible for the slaughter of 15 million people. Hitler said:

> "I am a socialist—as my young friend is—and a very different kind of socialist. The great working men want only bread and circus. They have no understanding for ideals of any sort whatsoever and we can never hope to win the workers to any large extent by an appeal to ideals. We want to make a new revolution for the new dominating caste,—including Chakravarti—which is not moved, as you are, by the ethic of pity, but quite clear in its own mind that it has the right to dominate others. This caste ruthlessly maintains and assures its dominance over the masses."

This is what the greatest slaughterer of humanity said.

I appeal to the government: Read the signs on the wall. Read the lessons of history. Don't try to mince words. The arguments advocated by the planning Minister today have nothing to do with my resolution. My resolution seeks to impose the obligation on the government to impose a ceiling, not on the construction of houses. I am a teacher of economics and I have sponsored this resolution knowing fully well its economic obligations. It is a question of acceptance of the principle of imposing a ceiling on the people who have earned 500 to 1000 times in the city of Delhi where I had been representative of the uprooted millions from West Pakistan. It is not a question of statistics and figures. It is a question of acceptance of the principle—the idea of imposing a ceiling on the urban property. I have not touched the income aspect at all. I am only trying to tell you in all my humility, and in the discharge of my obligations as a member of the Congress Party, to accept of the principle and the spirit behind this Resolution. That is why I urge on the Government to accept it from the sense of pity, as Hitler says: "by the ethic of pity" which is strange to some people in power.

Therefore, I again appeal in the name of humanity, in the name of pity and compassion and the spirit of service which Gandhiji advocated and Nehru worked for, to think over this matter seriously. Shri Bhagat is a very experienced advocate of socialism. He is also a brilliant scholar and a colleague of mine. I hope he will give very serious consideration to these aspects and look at these problems of social growth not from the point of view of ABC of statistics but from a sense of pity and compassion which we are compelled to have as a

[Shri P. R. Chakraverti]

part of our obligation, as a mission of our life.

So, Madam, I am ready to wait. I am not in a hurry. I am nearing 65. I am quite ready to wait. If Dr. Aney is waiting, why should not I? But I want to see some fruition of the mission which we have adopted for the service of the people at large.

Shri Balmiki was angry because of the unnecessary delay. I am not angry. I cannot afford to be angry at this age. I want only to caution our countrymen that when we advocate socialism let us at least understand the implications of socialism. As such, I again request my hon. friends who have supported the case—it is the case of everybody—to be a little patient and rely on the assurances which are forthcoming from the Minister.

Mr. Chairman: There are four amendments that have been moved. Do they want to press them?

Shri Yashpal Singh: I want to press my amendment.

Mr. Chairman: The question is:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that no distinction should be made between rural and urban areas in the matter of fixing ceiling on property, and a uniform policy should be adopted for both." (1)

The motion was negatived.

17 hrs.

Mr. Chairman: There is a substitute resolution by Shri Bibhuti Mishra. Does he want to press it?

श्री विभूति मिश्र : श्री भगत के आश्वासन के बाद मैं उसे वापस लेता हूं ।

Mr. Chairman: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his resolution?

An hon. Member: No.

Mr. Chairman: All right. I will put the resolution to the vote of the House. The question is:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that the ceiling on urban property should not exceed five times the *per capita* national income and within one year of adopting this resolution, the Government may enforce the ceiling on urban property." (2).

The Lok Sabha divided:

Division No. 8] [17.06 hrs.

AYES

Azad Shri Bhagwat Jha
Bade, Shri
Berwa, Shri Onkar Lal
Lakhan Das, Shri
Malaichami, Shri
Pattnayak, Shri Kishen
Yadav, Shri Ram Sewak
Yashpal Singh, Shri

NOES

Achal Singh, Shri
Akk ma Devi, Shrimati
Alva, Shri Joachim
Aney, Dr. M. S.
Babunath Singh, Shri
Baraman Shri P.C.
Basappa, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Brajeshwar Prasad, Shri
Chakraverti, Shri P.R.
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandak, Shri
Chaudhry, Shri Chandramani Lal
Chaudhuri, Shri D. S.
Chavan, Shri Y.B.
Daljit Singh, Shri
Das, Shri B. K.
Dass, Shri C.
Deshmukh, Shri Shivaji Rao, S
Dixit, Shri G. N.

NOES—*contd.*

Dorai, Shri Kasinatha
Ering, Shri D.
Gandhi, Shri V. B.
Hanumanthaiya, Shri
Harvani, Shri Ansar
Hazarika, Shri J.N.
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jamunadevi, Shrimati
Jyotishi, Shri J.P.
Khadilkar, Shri
Khan, Shri Shanawaz
Kindar Lal, Shri
Kisan Veer, Shri
Kotoki, Shri Liladhar
Kouialgi, Shri H.V.
Kripa Shankar, Shri
Krishna, Shri M.R.
Krishnamachari, Shri T.T.
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N.R.
Laxmi Bai, Shrimati
Marandi, Shri
Mathur, Shri Harish Chandra
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mohanty, Shri Gokulananda
Muthiah, Shri
Pande, Shri K.N.
Pandey, Shri R.S.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Pandit, Shrimati Vijay Lakshmi
Pant, Shri K.C.
Parashar, Shri
Patel, Shri P.R.
Patil, Shri D.S.
Pratap Singh, Shri
Raghunath Singh Shri
Raju, Dr. D.S.
Ram Swarup, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Thirumala
Ray, Shrimati Renuka
Reddiar, Shri
Sadhu Ram, Shri
Sahu, Shri Rameshwar
Samanta, Shri S.C.
Saraf, Shri Sham Lal
Satyabhama Devi, Shrimati
Shastri, Shri Lal Bahadur
Shastri, Shri Ramanand
Shree Narayan Das, Shri
Shyam Kumari Devi, Shrimati
Singh, Shri S.T.
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Snatak, Shri Nardeo
Sonavane, Shri
Subramanyam, Shri T.
Sumat Prasad, Shri
Swamy, Shri M.P.
Tantia, Shri Rameshwar
Thimmaiah, Shri
Tiwary, Shri K.N.
Tula Ram, Shri
Tyagi, Shri
Uikey, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Vaishya, Shri M.B.
Varma, Shri Ravindra
Veerabasappa, Shri
Venkatasubbaiah, Shri P.
Virbhadra Singh, Shri
Wadiwa, Shri
Wasnik, Shri Balkrishna
Yadab, Shri N.P.

Mr. Chairman: The result of the division is:

Ayes 8; Noes 98.

The motion was negatived.

Mr. Chairman: I shall now take up the Amendment of Shri Shree Narayan Das. Does he withdraw it?

Shri Shree Narayan Das: I withdraw it.

Mr. Chairman: Has he the leave of the House to withdraw it?

Hon. Members: Yes.

Mr. Chairman: So, the Amendment of Shri Shree Narayan Das is withdrawn.

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn

Mr. Chairman: I shall now take up the Amendment of Shri D. S. Patil.

Shri D. S. Patil: I withdraw it.

Amendment No. 4 was, by leave, withdrawn.

Mr. Chairman: Now, I shall take up the Resolution moved by Shri P. R. Chakraverti.

Shri P. R. Chakraverti: I have already expressed the desire to withdraw my Resolution.

Mr. Chairman: The House has not given permission to him to withdraw the Resolution. I shall now put it before the House. The question is:

"This House is of opinion that suitable measures should be taken to introduce ceiling on urban property, commensurate with the policy adopted with regard to rural areas."

The Lok Sabha divided.

Division No. 9] **[17.10**

AYES

Alva, Shri Joachim
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bade, Shri
Berwa, Shri Onkar Lal
Hazarika, Shri J.N.
Jamuna Devi, Shrimati
Lakhan Das, Shri
Pattnayak, Shri Kishen
Sonavane, Shri
Venkatasubbiah, Shri P.
Virbhadra Singh, Shri
Wasnik, Shri Balkrishna
Yadav, Shri Ram Sewak
Yashpal Singh, Shri

NOES

Achal Singh, Shri
Akkamma Devi, Shrimati
Aney, Dr. M.S.
Babunath Singh, Shri
Barman, Shri P.C.
Bhagat, Shri B.R.
Bhattacharyya, Shri C.K.
Brajeshwar Prasad, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandak, Shri
Chaudhry, Shri Chandramani Lal
Chavan, Shri Y.B.
Daljit Singh, Shri
Das, Shri B.K.
Dass, Shri C.
Dixit, Shri G. N.
Dorai, Shri Kasinatha
Ering, Shri D.
Gandhi, Shri V.B.
Hanumanthaiya, Shri
Harvani, Shri Ansar
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Khadilkar, Shri
Khan, Shri Shahnawaz
Koujalgi, Shri H. V.
Kripa Shankar, Shri
Krishnamachari Shri T.T.
Laxmi Bai, Shrimati
Malaichami, Shri
Marandi, Shri
Mathur, Shri Harish Chandra
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Muthiah, Shri
Pandey, Shri K.N.
Pande, Shri R.S.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Pandit, Shrimati Vijay Lakshmi
Pant, Shri K.C.
Patel, Shri P.R.
Patil, Shri D.S.
Pratap Singh, Shri
Raghunath Singh, Shri
aiu, Dr. D.S.
Ram Swarup, Shri
Rane, Shri
Reddi, Dr. B. Gopala
Reddiar, Shri
Sadhu Ram, Shri
Sahu, Shri Rameshwar
Samanta, Shri S.C.
Saraf, Shri Sham Lal
Satyabhama Devi, Shrimati
Shastri, Shri Lal Bahadur
Shastri, Shri Ramanand
Shyam Kumari Devi, Shrimati
Singh, Shri S.T.
Snatak, Shri Nardeo
Sumat Prasad, Shri
Swamy, Shri M.P.
Tiwari, Shri K.N.
Tyagi, Shri
Uikey, Shri
Vaishya, Shri M.B.
Veerabasappa, Shri

Mr. Chairman: The result of the division is:

Ayes 14; Noes 68.

The motion was negatived.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 30, 1965/*Bhadra* 8, 1887 (*Saka*).

GMGIPND—LS II—993 (Ai) LSD— 18-9-65—970.